ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

(2025-2026)

34

अठारहवीं लोक सभा

ग्रामीण विकास मंत्रालय
(ग्रामीण विकास विभाग)

[ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)" (2024-25) संबंधी सत्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई]

चौतीसवाँ प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

(2025-2026)

(अठारहवीं लोक सभा)

पंचायती राज मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

[ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)" (2024-25) संबंधी सत्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई]

31.07.2026 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

31.07.2026 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

जुलाई, *2026* / **श्रावण**, *1948* (शक)

सीआरडी सं. 225

मूल्यः रुपये.....

© 2026 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों (सत्रहवाँ संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और ___________ द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

पृष्ठ सं.

अध्याय एक	प्रतिवेदन	1
अध्याय दो	सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	39
अध्याय तीन	सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	45
अध्याय चार	सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं	46
अध्याय पांच	सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं	71

अनुबंध

I.	पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्माण कार्य के शिलान्यास और उद्घाटन समारोहों के लिए जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण हेतु दिनांक 03.02.22 को जारी की गई मार्ग-निर्देशिका	72
II.	ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण	84
III.	समिति की बुधवार, 8 जुलाई, 2026 को हुई छब्बीसवीं बैठक के कार्यवाही सारांश से उद्धरण	85

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2025-2026) की संरचना

श्री सप्तगिरि शंकर उलाका -*सभापति*

लोक सभा सदस्य

2. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे
3. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
4. श्री राजू बिष्ट
5. श्री विजय कुमार दुबे
6. डॉ. संजय जायसवाल
7. श्री भजन लाल जाटव
8. डॉ. मोहम्मद जावेद
9. श्री जुगल किशोर
10. डॉ. डी. रवि कुमार
11. श्री नव चरणमाझी
12. श्री इमरान मसूद
13. श्री जनार्दन मिश्र
14. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी
15. श्री के. राधाकृष्णन
16. श्री रमाशंकर राजभर
17. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह *उर्फ* पवन राजेनिंबालकर
18. श्री परषोत्तमभाई रुपाला
19. श्री देवेन्द्र सिंह *उर्फ* भोले सिंह
20. श्री गणेश सिंह
21. श्री विवेक ठाकुर

राज्य सभा सदस्य

22. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
23. डॉ. एम. धनपाल
24. श्री समीरुल इस्लाम
25. डॉ कविता पाटीदार
26. श्रीमती राजाथी
27. श्री नगेन्द्र रॉय
28. श्री संत बलबीर सिंह
29. श्रीमती पी.टी. उषा
30. श्री करमवीर सिंह बौद्ध
31. श्री बैद्यनाथ राम

सचिवालय

1. श्री डी.आर.शेखर	-	अपर सचिव
2. श्री वी.के. शैलोन	-	निदेशक
3. श्रीमती रश्मि रॉय	-	उप सचिव
4. श्री सुधांशु शेखर	-	अवर सचिव

प्राक्कथन

मैं, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2025-2026) का सभापति समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)' (2024-25) से संबंधित ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी चौतीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. प्रतिवेदन दिनांक 07.08.2026 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और 07.08.2026 को ही राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों पर सरकार के उत्तर 06.11.2025 को प्राप्त हुए थे।

3. समिति ने 08.07.2026 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

4. समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण **अनुबंध-दो** में दिया गया है।

नई दिल्ली	**सप्तगिरि शंकर उलाका**
30 जुलाई, 2026	**सभापति**
श्रावण 8, 1948 (शक)	**ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति**

अध्याय एक

प्रारूप प्रतिवेदन

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2025-26) का यह प्रतिवेदन ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)" (2024-25) से संबंधित सत्रहवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में है।

1.2 सत्रहवां प्रतिवेदन 07.08.2025 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था तथा 07.08.2025 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इस प्रतिवेदन में 17 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं।

1.3 इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 17 टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण सरकार से प्राप्त हो गए हैं। इनकी जाँच की गई है और इन्हें निम्नवत रूप में वर्गीकृत किया गया है:

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

क्रम सं. 11, 12 और 13

कुल: 03
अध्याय: दो

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है:

क्रम सं. शून्य

कुल: शून्य
अध्याय: तीन

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए है:

क्रम सं. 1 से 10 तथा 4 और 17

कुल: 14
अध्याय: चार

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:

क्रम सं. शून्य

कुल: शून्य
अध्याय :पांच

1.4 समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी अंतिम की-गई-कार्रवाई टिप्पण इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह के भीतर समिति को प्रस्तुत कर दिए जाएं।

1.5 समिति अब सरकार द्वारा अपनी कुछ टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई के संबंध में विचार करेगी, जिन्हें दोहराये जाने अथवा जिन पर टिप्पणियां किए जाने की आवश्यकता है।

<u>निविदाओं में कम बोली लगाना</u>

<u>सिफारिश (क्रम सं. 1)</u>

1.6 निविदाओं में कम बोली लगाने के संबंध में समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

"समिति पाती है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु परियोजनाएँ प्राप्त करने हेतु निविदाओं के माध्यम से बोली लगाना इस योजना का एक अभिन्न अंग है और जिन ठेकेदारों को निविदाओं के माध्यम से निर्माण हेतु ठेके दिए जाते हैं, संभवत: वे ही अपने कार्यकलापों के माध्यम से अक्सर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। समिति इस बात पर चिंता व्यक्त करती है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के निर्माण के अधिकार प्राप्त करने हेतु इस निविदा को हासिल करने के लिए, ठेकेदार अक्सर न्यूनतम बोली राशि से 25-30% कम राशि की बोली लगाते हैं। समिति के सदस्य अक्सर ठेकेदारों द्वारा कम बोली लगाने की तथाकथित प्रथा से संबंधित मुद्दे को विचार-विमर्श के दौरान उठाते रहे हैं। अत:, समिति, ग्रामीण विकास विभाग को कम बोली लगाने की प्रक्रिया पर अंकुश लगाने के लिए सभी उपाय करने की सिफारिश करती है और कम से कम एक ऐसी व्यवस्था/प्रावधान तैयार करने की सिफारिश करती है जिसके अंतर्गत बोली और वास्तविक बोली के बीच के अंतर की समतुल्य राशि को प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाए और इसे तभी जारी किया जाए जब यह सुनिश्चित हो जाए कि निर्मित सड़क निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करती है। इसलिए, एक ऐसी निष्पक्ष बोली व्यवस्था की आवश्यकता है ताकि एक न्यायसंगत और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके जहाँ बोलीदाता बिना किसी हेरफेर या अनुचित लाभ के संविदा या अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें। समिति, यह भी सिफारिश करती है कि सरकार ठेकेदारों द्वारा न्यूनतम बोली राशि से कम राशि की बोली लगाने से सड़क की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन करे।"

1.7 ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई संबंधी उत्तर में निम्नवत बताया है:

"पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनाई जा रही सड़कों की गुणवत्ता के हित में और असामान्य रूप से कम बोलियों (एएलबी) से सुरक्षा के लिए, एसबीडी में ठेकेदार से अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति लेने का प्रावधान किया गया है। सभी राज्यों को एसबीडी प्रावधानों के अनुसार एएलबी के मामलों को निपटाने की सलाह दी गई है, जो निम्नानुसार हैं:.

(क) बोलीदाता की योग्यता:

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यों के लिए बोली लगाने वाले ठेकेदारों के पास अच्छी गुणवत्ता वाले कार्यों के निष्पादन की अच्छी पृष्ठभूमि है, एसबीडी के खंड 4 में योग्यता संबंधी निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं:-

(क) ठेकेदार को पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निष्पादित सिविल निर्माण परियोजनाओं का कुल मौद्रिक मूल्य प्रदान करना होगा।

(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मान प्रकृति और पैमाने वाली परियोजनाओं में अपनी भागीदारी का रिकॉर्ड प्रस्तुत करना। इसके अतिरिक्त, चालू या अनुबंधित परियोजनाओं का विवरण, किसी संबंधित प्राधिकारी से अनुमोदन सहित, जो किसी कार्यपालक अभियंता या उसके समकक्ष पद से कम न हो, प्रस्तुत करना।

(ग) परियोजना में नियोजित किये जाने वाले तकनीकी कार्मिकों के संबंध में समग्र जानकारी प्रस्तुत करना।

(घ) इस बात की पुष्टि करना कि अनुबंध निर्माण के लिए आईटीबी के खंड 4.4 बी (बी) (ii) में निर्दिष्ट योग्यताओं के अनुरूप है।

(ड.) निर्माण संबंधी कार्यकलापों के लिए एक प्रस्तावित प्रस्ताव और एक गुणवत्ता प्रबंधन योजना प्रस्तुत करना जिसमें तकनीकी विनिर्देशों और निर्धारित समापन अवधि के अनुपालन में परियोजना के पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा की रूपरेखा हो।

(ख) अतिरिक्त बैंक गारंटी:

एसबीडी के खंड 46, उप-खंड 46.1 और 46.2 के अनुसार, अनुबंध मूल्य के 5% (पांच प्रतिशत) के बराबर निष्पादन प्रतिभूति और असंतुलित बोलियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा नियोक्ता को प्रदान की जाएगी।

(ग) काली सूची में डालना/अनुबंध की समाप्ति

खंड 52, उप-खंड 52.1 और 52.2 के अनुसार, यदि ठेकेदार गुणवत्ता और अन्य संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में अनुबंध का बड़ा उल्लंघन करता है, जैसे कि निर्दिष्ट दोष को तुरंत ठीक करने में विफलता, आवश्यक सुरक्षा का रखरखाव न करना, स्वीकार्य परिसमाप्त क्षति अवधि से परे परियोजना को पूरा करने में देरी करना और समय पर काम का एक निर्दिष्ट हिस्सा पूरा न करना, तो नियोक्ता अनुबंध को समाप्त कर सकता है।.

यह उल्लेखनीय है कि एसबीडी में पहले से ही सख्त प्रावधान हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएमजीएसवाई कार्यों के निष्पादन के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले ठेकेदारों को नियुक्त किया

जाए; तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बोलियों की तकनीकी जाँच के दौरान सख्त तकनीकी मूल्यांकन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

जैसा कि सुझाव दिया गया है, पीएमजीएसवाई सड़कों पर असामान्य रूप से कम बोलियों के मामले की जांच के लिए एक समिति भी गठित की जा रही है।"

(का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695), दिनांक: 6 नवम्बर, **2025)**

समिति की टिप्पणियां

1.8 यद्यपि समिति मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) में सरकार के विद्यमान उपबंधों यथा पात्रता मानदंड, असामान्य रूप से कम बोलियों (एएलबी) के लिए अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा, और समापन खंडों की सराहना करती है तथापि यह पाती है कि ये उपाय व्यावहारिक रूप से अपर्याप्त हैं। इस तरह के प्रयासों के बावजूद, की राज्यों में अनियंत्रित रूप से कम बोलियाँ लगाना जारी है। नियमावली में दिए गए उपबंधों का तब तक कोई लाभ नहीं है जब तक कि उनका अक्षरश: पालन नहीं किया जा रहा हो। इस संबंध में, यह अपेक्षा की जाती है कि इन उपबंधों का जमीनी स्तर पर कड़ाई से पालन किया जाए। अत: समिति आगे सिफारिश करती है कि राज्यों द्वारा अनिवार्य त्रैमासिक रिपोर्टिंग के माध्यम से कड़ी निगरानी की जाए, असंतुलित बोलियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जाएं प्रस्तावित एएलबी समिति के लिए सार्थक विचारार्थ विषय तैयार किए जाएं जिसमें अनुभवजन्य अध्ययन और संभावित न्यूनतम बोली सीमा शामिल हो, पिछले कार्य-निष्पादन को अधिक महत्व देते हुए और सख्त तकनीकी मूल्यांकन किया जाए, बोलियों और गुणवत्ता रिपोर्टों का अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण किया जाए, अच्छा कार्य करने वालों को गुणवत्ता संबंधी प्रोत्साहन और बोनस प्रदान किया जाए तथा ठेकेदारों की क्षमता बढ़ाई जाए। समिति का यह सुविचारित मत है कि ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) को "उपबंध-आधारित" दृष्टिकोण से हटकर "परिणामोन्मुख निगरानी और निवारक" दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि कम बोली की प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से रोका जा सके और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

<u>निर्मित सड़कों की गुणवत्ता</u>

<u>सिफारिश (क्रम सं. 2)</u>

1.9 निर्मित सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में, समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

"समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता एक गंभीर मुद्‌दा है जो पूरे देश को प्रभावित कर रहा है और ग्रामीण लोगों के जीवन पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। सड़कों के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण सड़कें देश की समृद्‌धि के लिए कई तरह से सहायक होती हैं। यह योजना सरकार द्‌वारा विभिन्न कल्याणकारी लक्ष्यों को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी और वर्षों से यह ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाओं में से एक रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें समिति का ध्यान निर्माण के निर्धारित मानदंडों और मानकों का अनुपालन न करने और कई स्थानों पर सड़कों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की खराब गुणवत्ता की ओर आकर्षित किया गया है, जो मौसम के प्रभाव और अधिक यातायात को एक मौसम भी सहन नहीं कर पातीं है और मानसून के आगमन के साथ ही खराब हो जाती हैं। इसलिए, समिति सड़क निर्माण गुणवत्ता के साथ किए गए समझौते को पूरी तरह से अस्वीकार करती है और इसे एक दंडात्मक कृत्य मानती है। अतः, समिति ग्रामीण विकास विभाग से आग्रह करती है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए कि पीएमजीएसवाई के प्रावधानों के अंतर्गत यथा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों से बिल्कुल भी समझौता न किया जाए ताकि निर्मित सड़कें टिकाऊ हों और ग्रामीण आबादी के लिए बारहमासी सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए योजना का लक्ष्य यथाशीघ्र प्राप्त हो सके, क्योंकि यह देश की संपूर्ण ग्रामीण प्रगति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्‌दा है।"

1.10 ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई संबंधी उत्तर में निम्नवत बताया है::

"निर्माण के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को सुदृढ़ करने के लिए, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्टेज-पासिंग की एक प्रणाली अनिवार्य की गई है। इस नई प्रणाली के अंतर्गत, संबंधित पीआईयू प्रमुख निर्माण के निर्धारित चरणों में सड़क के प्रत्येक हिस्से की गुणवत्ता प्रमाणित करेगा। पीआईयू जो बिल पास करने और ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके द्‌वारा अब जमीनी स्तर पर काम का निरीक्षण करना, गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण करना और काम की गुणवत्ता को प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। संबंधित पीआईयू द्‌वारा प्रदान की गई गुणवत्ता ग्रेडिंग का सार

और पीआईयू द्वारा लिए गए कार्यों की उनके जियो-टैग फोटोग्राफ सार्वजनिक अधिकार-क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, पीआईयू प्रमुख द्वारा दर्ज किए गए कार्यों की जियो-टैग फोटोग्राफ के साथ गुणवत्ता ग्रेडिंग का सार सार्वजनिक अधिकार-क्षेत्र में रखा जाएगा। यह उपाय 15 अगस्त 2025 से पीएमजीएसवाई-III, पीएमजीएसवाई-जनमन, पीएमजीएसवाई-वीवीपी के अंतर्गत सभी जारी और हाल ही में पूरी हुई परियोजनाओं के संबंध में लागू किया गया था और यह पीएमजीएसवाई-IV की सभी परियोजनाओं के संबंध में भी लागू होगा। स्टेज-पासिंग की शुरूआत से उत्तरदेही आने, निर्धारित मानदंडों का सख्त अनुपालन होने तथा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं की समग्र गुणवत्ता और स्थायित्व में सुधार होने की आशा है।"

(का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695), दिनांक: 6 नवम्बर, 2025)

समिति की टिप्पणियां

1.11 समिति ने सरकार के उत्तर की गहनता से जांच की है और कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) प्रमुखों द्वारा अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणन के साथ 'स्टेज-पासिंग सिस्टम' शुरू करने, भुगतान को गुणवत्ता जांच के साथ जोड़ने और और सार्वजनिक अधिकार-क्षेत्र में जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ गुणवत्ता ग्रेडिंग सार प्रस्तुत करने के प्रावधान की सराहना की है। यद्यपि ये उपाय सही दिशा में हैं, तथापि समिति का यह सुविचारित मत है कि केवल आंतरिक विभागीय जाँच से गुणवत्ता से संबंधित चिरस्थायी समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अत:, समिति आगे सिफारिश करती है कि अनिवार्य रूप से स्वतंत्र तृतीय-पक्ष ऑडिट (विशेष रूप से आईआईटी/एनआईटी के विशेषज्ञों द्वारा) किए जाएं, दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों दोनों के लिए शास्तियों को शामिल करते हुए सख्त उत्तरदेही तय की जाए, वास्तविक समय के आंकड़ों को शामिल करते हुए एक सुदृढ़ केंद्रीकृत निगरानी डैशबोर्ड तैयार किया जाए, विभिन्न प्रौद्योगिकीय पहलें जैसे कि ड्रोन और गैर-विनाशकारी परीक्षण किए जाएं, पीआईयू कर्मचारियों का क्षमता निर्माण किया जाए, निर्माण संबंधी दोषों के लिए कठोर उतरदायित्व व्यवस्था और रखरखाव संबंधी व्यवस्था की जाए और नागरिकों को एक सार्वजनिक शिकायत तंत्र उपलब्ध कराया जाए। समिति यह भी चाहती है कि ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) पीएमजीएसवाई सड़कों की गुणवत्ता को सर्वोच्च और अपरिहार्य प्राथमिकता दे। सड़कों का टिकाऊपन और उस पर चलने की गुणवत्ता में सुधार अंतत: तब माना जाएगा जब वे बिना

किसी बड़े नुकसान के कम से कम एक पूरे मानसून के मौसम का सामना कर सकें। ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता ग्रामीण निवासियों की आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास, सुरक्षा और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

पीएमजीएसवाई सड़कों का रखरखाव - निर्माण उपरांत

सिफारिश (क्रम सं. 3)

1.12 'पीएमजीएसवाई सड़कों का रखरखाव - निर्माण उपरांत' के संबंध में, समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

"समिति पाती है कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों की सामान्य डिज़ाइन अवधि 10 वर्ष है और कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) (प्रारंभिक 5 वर्ष) के दौरान सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है, जबकि डीएलपी के बाद (अगले 5 वर्ष) संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है और इसके लिए निधि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। समिति यह नोट कर चिंता व्यक्त करती है कि दिशानिर्देशों का गंभीरता से अनुपालन नहीं किया जा रहा है और विभिन्न स्थानों पर पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों का उचित रखरखाव नहीं हो रहा है और वे 5 साल की वारंटी से पहले ही खराब होने लगती हैं। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों के रखरखाव के लिए विस्तृत रूप से निर्धारित नियमों की निगरानी प्रणाली भी चिंता का विषय बनी हुई है। समिति नोट करती है कि इस मुद्दे का सख्त विनियमन और ठेकेदारों द्वारा इसका समान रूप से अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है। अतः, समिति ग्रामीण विकास विभाग को यह सुनिश्चित करने की पुरजोर सिफारिश करती है कि ठेकेदारों द्वारा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के उपरांत रखरखाव संबंधी दिशानिर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाए ताकि सड़कें प्रारंभिक चरण में खराब न हों, बल्कि लंबे समय तक संपर्क बनाए रखने के प्रयोजन को पूरा कर सकें। दोषी ठेकेदारों को भी सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और उन्हें काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डालने के लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। समिति ग्रामीण विकास विभाग को यह भी सिफ़ारिश करती है कि निर्माण के बाद पीएमजीएसवाई सड़कों के उचित

रखरखाव के लिए निगरानी के संबंध में नोडल एजेंसियों के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित किया जाए। योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को पूरी ईमानदारी से तैयार किया जाना चाहिए।"

1.13 ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई संबंधी उत्तर में निम्नवत बताया है::

"दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) के दौरान सड़कों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने और पीएमजीएसवाई सड़कों के नियमित रखरखाव को सुव्यवस्थित करने के एक उपाय के रूप में, ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ई.एम.ए.आर.जी) की शुरूआत इन समस्याओं के सरल लेकिन बेहद प्रभावी समाधान के रूप में की गई थी। कार्य-निष्पादन आधारित रखरखाव संविदा (पीबीएमसी) के संबंध में परिकल्पित, ई.एम.ए.आर.जी ने एक रूप-रेखा तैयार की है कि कैसे स्मार्ट सूचना प्रौद्योगिकी और संविदा प्रबंधन के साथ सरकारी विभागों में बुनियादी ढांचे के रखरखाव की समस्या का किस प्रकार समाधान किया जा सकता है। पीबीएमसी एक प्रकार की संविदा है जिसमें ठेकेदार को सड़क की सामान्य स्थिति, उसके क्रॉस -ड्रेनेज कार्यों और यातायात परिसंपत्तियों के आधार पर भुगतान किया जाता है, जिन्हें उसे पूरा करना होता है। भुगतान इस बात पर आधारित होते हैं कि ठेकेदार संविदा में परिभाषित कार्य-निष्पादन मानकों या सेवा स्तरों का पालन करने में कितना सफल होता है। डीएलपी के बाद रखरखाव संबंधी व्यय को दर्ज करने के लिए भी ई.एम.ए.आर.जी. को और सुदृढ़ किया जा रहा है।

पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव की ऑनलाइन निगरानी के लिए निर्माण के बाद पाँच वर्षों के लिए ई.एम.ए.आर.जी लागू किया गया है। राज्यों के साथ समीक्षा बैठकों, पूर्व-अधिकार प्राप्त समिति और अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की बैठकों के दौरान ई.एम.ए.आर.जी के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी की जा रही है और सड़कों के खराब रखरखाव की स्थिति में 5 वर्ष की दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) का विस्तार अनिवार्य कर दिया गया है। 5 वर्ष की अवधि के बाद, अर्थात डीएलपी के बाद 5 वर्ष, अर्थात कुल 10 वर्षों के लिए, ई.एम.ए.आर.जी मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसका सभी राज्यों को पालन करना होगा। इससे निर्माण के बाद रखरखाव का सख्त अनुपालन सुनिश्चित होगा।

ग्रामीण सड़कों का रखरखाव संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, मंत्रालय दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) के अंतर्गत सड़कों के खराब रखरखाव की शिकायतों से संबंधित मुद्दे पर विचार कर रहा है। एनआरआईडीए माननीय संसद सदस्यों और अन्य एजेंसियों से विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होने पर ऐसी सड़कों का निरीक्षण करने के लिए एनक्यूएम दलों को तैनात करता है। जांच रिपोर्ट के आधार पर, राज्यों को संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा, ईएमएआरजी के कार्यान्वयन के बाद, जो मुख्य रूप से कार्य-निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध है, एनआरआईडीए के लिए ऐसी सभी सड़कों की दृश्यत: निगरानी करना संभव हो गया है। यदि कोई सड़क वांछित ग्रेडिंग प्राप्त करने में विफल रहती है, तो रखरखाव भुगतान जारी नहीं किया जाता है। इसके अलावा, ऐसी सड़कों की डीएलपी अवधि भी उस अवधि के

लिए बढ़ा दी जाती है जिसके लिए सड़क वांछित ग्रेडिंग प्राप्त करने में विफल रही है। अतः मंत्रालय बेहतर सड़क रखखाव सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने के उपायों को ढूँढने का प्रयास करता रहा है।"

(का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी (ईएफएमएस सं.380695), दिनांक: 6 नवम्बर, 2025)

समिति की टिप्पणियां

1.14 समिति सरकार की गुणवत्ता आधारित रखरखाव संबंधी संविदा (पीबीएमसी) पर आधारित ग्रामीण सड़कों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ई.एम.ए.आर.जी) प्रणाली की शुरुआत करने, भुगतान को सड़क की स्थिति से संबद्ध करने, खराब रखरखाव के लिए दोष देयता अवधि (डीएलपी) को अनिवार्य रूप से बढ़ाने, और दोष देयता अवधि के बाद मॉड्यूल को विकसित करने जैसी पहलों की सराहना करती है। तथापि, समिति इस बात पर चिंता व्यक्त करती है कि जमीनी स्तर पर खराब रखरखाव की समस्या अभी भी बनी हुई है और दोष देयता अवधि के बाद वित्तपोषण और निष्पादन के लिए राज्य सरकारों पर निर्भरता एक कमजोर कड़ी बनी हुई है। अत:, समिति अनिवार्य जियो-टैग संबंधी डेटा और यादृच्छिक तृतीय-पक्ष सत्यापन के साथ ई.एम.ए.आर.जी को सख्ती से लागू करने, दोषी ठेकेदारों को अनिवार्य रूप से काली सूची में डालने सहित कड़ी शास्तियाँ लगाने, दोष देयता अवधि के बाद के रखरखाव हेतु राज्यों के लिए समर्पित वित्त पोषण/प्रोत्साहन तंत्र, स्वतंत्र लेखा-परीक्षा, डैशबोर्ड पर रखरखाव डेटा का पूर्ण सार्वजनिक प्रकटीकरण, और भविष्य की बोली पात्रता के साथ रखरखाव संबंधी निष्पादन के एकीकरण की भी सिफारिश करती है। मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीएमजीएसवाई सड़कें वास्तव में 10 वर्ष की अपनी डिज़ाइन अवधि तक अच्छी स्थिति में रहें।

IV. संपर्कविहिन बसावटों को जोडना

सिफारिश (क्रम संख्या 4)

1.15 सड़कों से नहीं जुड़ी बसावटों को जोड़ने के संबंध में समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी -

"समिति नोट करती है कि बसावटों को सड़कों से जोड़ने के संबंध में ग्रामीण संपर्क परियोजनाओं से जुड़ा एक मुद्दा यह सामने आया कि सड़कें वास्तविक बसावटों, जहाँ अधिकांश लोग रहते हैं तक पहुँचने के बजाय गाँवों के बाहरी इलाके या परिधि तक ही पहुँचती हैं। इससे बसावटों को जोड़ने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है और कई जरूरतमंद बसावटों, विशेष रूप से देसम, ढाणियाँ, टोले, मजरे, हैमलेट आदि,

ज्यादातर गाँव की परिधि से कम से कम 2-3 किलोमीटर अंदर स्थित हैं और इस प्रकार, उन्हें सड़क संपर्क का लाभ नहीं मिल रहा है। अत:, समिति इस जमीनी हकीकत को देखते हुए, ग्रामीण विकास विभाग को सड़क संपर्क नीति की व्यापक समीक्षा करने और ऐसे साधन सृजित करने की सिफारिश करती है जिससे पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कें वास्तव में संपर्कविहिन बसावटों तक पहुँचें ताकि देश के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाली ग्रामीण आबादी को बिना किसी समझौते के बारहमासी सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल किया जा सके और देश में ग्रामीण आबादी सामाजिक-आर्थिक प्रगति कर सके।"

1.16 ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई संबंधी उत्तर में निम्नवत बताया है:

"प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से, जनगणना 2001 के अनुसार, लगभग 99.6% पात्र बसावटों को बारहमासी संपर्कता प्रदान की गई है। बसावटों का उद्भव एक गतिशील प्रक्रिया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कई नई बसावटें बनी हैं जो अभी तक संपर्कता से वंचित हैं। बुनियादी सेवाओं की संतृप्ति और ग्रामीण सड़कों सहित बुनियादी ढाँचे तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार, इन बसावटों को संपर्कता प्रदान करना अनिवार्य है।

देश की दूरस्थ संपर्कविहीन बसावटों तक संपर्कता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने पीएमजीएसवाई के चरण-IV के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इस पहल के तहत, लगभग 25,000 ग्रामीण बसावटों को बारहमासी संपर्कता प्रदान की जाएगी, जो अपनी जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए पात्र बन गई हैं। बसावटों को जोड़ते समय, राज्यों ने यह सुनिश्चित किया है कि पीएमजीएसवाई IV सड़क का संरेखण बसावटों से होकर गुज़रे और ग्रामीण जनता के लाभ के लिए आस-पास की महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिता/सेवाओं को यथासंभव इस सड़क से जोड़ा जाए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे पीएमजीएसवाई ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से विस्तृत सर्वेक्षण के बाद पात्र बसावटों की पहचान करें, जिसकी योजना जियो-सड़क और पीएम-गति शक्ति की सहायता से बनाई जाए।

ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के सड़क संपर्क घटक को भी क्रियान्वित कर रहा है। पीएम-जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के चिन्हित गाँवों को संपर्कता प्रदान की जा रही है। पीएमजीएसवाई-IV

और पीएम-जनमन तथा सड़क संपर्क घटक कई संपर्क रहित बसावटों तक संपर्कता सुनिश्चित करेंगे।"

का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025

<u>समिति की टिप्पणियाँ</u>

1.17 समिति ने सरकार के उत्तर की जांच की है और पहले के चरणों के तहत प्राप्त उच्च कवरेज (99.6%), लगभग 25,000 नई पात्र बस्तियों के लिए पीएमजीएसवाई चरण- IV के अनुमोदन, बस्तियों से गुजरने के लिए सड़क संरेखण के निर्देश, और पीएमजीएसवाई ग्राम सड़क सर्वे ऐप, जियो-सड़क और पीएम-गति शक्ति जैसे डिजिटल टूल के उपयोग की सराहना की है। समिति ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) गांवों के लिए प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत विशेष फोकस को भी नोट किया है। तथापि, समिति इस बात से चिंतित है कि सड़कों के मुख्य बस्तियों (ढानी, टोला, माजरा, बस्तियों आदि) तक पहुंचने के बजाय केवल गांव की परिधि को छूने की बारहमासी समस्या तब तक जारी रह सकती है जब तक कि मजबूत प्रवर्तन तंत्र स्थापित नहीं किया जाता है। इसलिए, समिति विस्तारित संरेखण, अनिवार्य भू-टैग और तृतीय-पक्ष सत्यापन, डिजिटल मैपिंग टूल के मजबूत एकीकरण, बिखरी हुई बस्तियों के लिए विशेष प्रावधान, निगरानी के लिए एक सार्वजनिक डैशबोर्ड और गैर-अनुपालन संरेखण के लिए दंड के साथ अनिवार्य कोर-हैबिटेशन कनेक्टिविटी की सिफारिश करती है ताकि अंतिम ग्रामीण परिवार को सार्थक बारहमासी कनेक्टिविटी प्रदान करने का उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके। बिना संपर्क वाली बस्तियों को जोड़ने से ग्रामीण अलगाव दूर होता है, शहरी ग्रामीण विभाजन समाप्त होता है, हाशिए पर रहने वाले समुदाय एकीकृत होते हैं और यह गरीबी में कमी और समावेशी विकास के लिए प्राथमिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

V. पीएमजीएसवाई सड़कों की भार वहन क्षमता में वृद्धि करना

सिफारिश (क्रम संख्या 5)

1.18 पीएमजीएसवाई सड़कों की सीसा वहन क्षमता बढ़ाने के संदर्भ में, समिति ने निम्नवत सिफारिश की :

"समिति नोट करती है कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कों की मोटाई 20 मि.मी. है। आधुनिकीकरण के इस युग में, जब दूर-दराज के क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों और राजमार्गों व पुलों के निर्माण कार्यों के कारण अक्सर भारी वाहनों, विशेष रूप से एनएचएआई पर चलने वाले वाहनों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है जिससे ग्रामीण सड़कों की अपूर्णीय क्षति होती क्योंकि इन सड़कों पर आमतौर पर यातायात कम होता है और इन्हें भारी वाहनों की आवाजाही के लिए नहीं बनाया जाता है। अतः, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत मौजूदा सड़कों को क्षति पहुँचाने वाले एनएचएआई वाहनों से बचाना और उनकी मरम्मत करना तथा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों की मोटाई को 30 मि.मी. तक बढ़ाना अनिवार्य है ताकि वे भारी वाहनों का भार वहन कर सकें जो भविष्य में भी उन पर से गुजरते रहेंगे। अतः, गांव की आबादी के आधार पर यातायात भार को ध्यान में रखते हुए, समिति ग्रामीण विकास विभाग से यह पुरजोर सिफारिश करती है कि वह एनएचएआई के साथ तत्काल सार्थक संवाद करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनएचएआई द्वारा पीएमजीएसवाई के प्रावधानों के अनुरूप क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की जाए और साथ ही ग्रामीण विकास विभाग से यह भी आग्रह करती है कि पीएमजीएसवाई के प्रावधानों में यथाशीघ्र समुचित संशोधन करके पीएमजीएसवाई सड़क की मौजूदा मोटाई को 20 मि.मी. से बढ़ाकर 30 मि.मी. कर दिया जाए ताकि वे भारी वाहनों के गुजरने से और अधिक क्षतिग्रस्त न हों।

1.19 ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई संबंधी उत्तर में निम्नवत बताया है:

"पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, फुटपाथ की डिज़ाइनिंग के लिए डिज़ाइन लोड (समतुल्य मानक एक्सल लोड) की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, हालाँकि 5 एमएसए (मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल) के लिए आवश्यक डिज़ाइन किए गए क्रस्ट के अतिरिक्त फुटपाथ संरचना की अतिरिक्त लागत पूरी तरह से राज्य द्वारा वहन की जानी है। यदि एनएचएआई की सड़कों पर चलने वाले भारी वाहनों को पीएमजीएसवाई

सड़कों का उपयोग करना है, तो राज्यों को अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से अवगत कराया जाता है कि यातायात के अनुमान के लिए उचित विश्लेषण किया जाना चाहिए और फुटपाथ का डिज़ाइन अनुमानित यातायात के आधार पर किया जाना चाहिए।

ग्रामीण सड़कों को 10 साल की डिजाइन लाइफ के लिए डिज़ाइन किया गया है और फुटपाथ की परत को डिजाइन करते समय भविष्य के यातायात की वार्षिक वृद्धि दर को भी ध्यान में रखा जाता है। पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कें ग्रामीण सड़कों को डिजाइन करने के लिए आईआरसी विशेष रूप से आईआरसी एसपी 72:2015 के विनिर्देशों का पालन करती हैं, आईआरसी एसपी 72:2015 डिजाइन यातायात को 2 एमएसए तक सीमित करता है। मानक धुरी (सिंगल एक्सल, डुअल व्हील) द्वारा वहन किया जाने वाला भार 8.16 टन और टेंडम एक्सल 14.9 टन है। पूरी तरह से भरे हुए भारी वाणिज्यिक वाहन (एचसीवी) का पिछला धुरी भार 10.2 टन और आगे की धुरी का भार पिछले धुरी भार का आधा यानी 5 टन होता है और यदि ओवरलोड वाहन मौजूद हैं तो 20% ओवरलोडिंग पर विचार किया जाता है। इससे ज्यादा के भार को इस डिजाइन के तहत विचार नहीं किया जाता है।

आईआरसी एसपी 72:2015 के अनुसार, उच्च यातायात के लिए अनुशंसित सतही सतह 20 मि.मी. ओजीपीसी है। सतही सतह (परत) लचीले फुटपाथ की ऊपरी परत होती है और एक अच्छी सड़क का चिकना टिकाऊ, घर्षण-रोधी गुण प्रदान करती है, साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए पर्याप्त घर्षण बनाए रखती है। यह आमतौर पर बिटुमेन-बाउंड एग्रीगेट - डामर कंक्रीट से बनाई जाती है। यह जलरोधी होगी और फुटपाथ की निचली परतों में पानी के प्रवेश को रोकेगी, जिससे उनकी मजबूती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ये परतें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि यातायात के दबाव में उखड़ न जाएँ।

चूंकि मुख्य भार वहन करने वाली परतें बाइंडर कोर्स, बेस कोर्स और सब बेस कोर्स हैं, इसलिए इन परतों की मोटाई फुटपाथ पर भारी वाहनों के चलने पर उत्पन्न होने वाली परेशानियों के लिए अधिक निर्णायक कारक होती है।

एनएचएआई की सड़कों से आने वाले भारी वाहनों द्वारा पीएमजीएसवाई सड़कों को होने वाले नुकसान का मुद्दा सबसे पहले सचिव द्वारा दिनांक 08.08.2023 के अ.शा.पत्र और फिर मंत्री (ग्रामीण विकास) द्वारा दिनांक 27.09.2023 के अ.शा.पत्र के माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है। अ.शा. पत्रों की प्रतियाँ संलग्न हैं।

का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025

<u>समिति की टिप्पणियाँ</u>

1.20 समिति 5 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल-एमएसए (राज्यों पर अतिरिक्त लागत के साथ) से अधिक लचीले डिजाइन प्रावधानों, आईआरसी एसपी 72:2015 मानकों के पालन और भारी वाहनों से हुए नुकसान पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय/एनएचएआई को जारी पत्रों के बारे में सरकार के उत्तर को स्वीकार करती है। हालांकि, समिति इस बात से असंतुष्ट है कि वर्तमान डिजाइन पैरामीटर, विशेष रूप से 20 मिमी सतह का मार्ग, ग्रामीण सड़कों पर बढ़ते भारी यातायात को संभालने के लिए अपर्याप्त हैं। इसलिए, समिति मोटे फुटपाथों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ उच्च डिजाइन यातायात (5-10 एमएसए) को अनिवार्य करने के लिए पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों को संशोधित करने, लोड-असर परतों की मोटाई बढ़ाने, मरम्मत और मुआवजे के लिए एनएचएआई के साथ एक औपचारिक समन्वय तंत्र स्थापित करने, यातायात नियमों को लागू करने, निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजे गए डीओ लेटर और पीएमजीएसवाई सड़कों की असामयिक क्षति और उनके उच्च अनुरक्षण भार से बचने के लिए दिशा-निर्देशों में प्रस्तावित संशोधनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति सहित उन्नत डिजाइनों के साथ पायलट परियोजनाएं शुरू करने की सिफारिश करती है।

VI. <u>पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्य विलंबित होना/रुकना</u>

सिफारिश (क्रम सं. 6)

1.21 पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्य विलंबित होने/रुकने के संबंध में समिति ने निम्नवत सिफारिश की :

> "ग्रामीण सड़कें शरीर की धमनियों के समान हैं जो देश के वृहत क्षेत्र के आंतरिक इलाकों को समाज में हो रहे विकास से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को ऐसी बसावटों, जहां सड़क संपर्क नहीं है, को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिससे ग्रामीण अवसंरचना और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। तथापि, यह पाया गया कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बड़ी संख्या में परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा नहीं

किया जाता है, जिससे इन क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण में विलंब होता है और इनका सामाजिक-आर्थिक विकास प्रभावित होता है। ऐसे विलंब के परिणामस्वरूप विशेष रूप से कच्चे माल और श्रम घटक की लागत में वृद्धि होती है । समिति, विभाग के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श और अध्ययन दौरों के दौरान देखी गई जमीनी हकीकत के माध्यम से यह पाती है कि ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें ठेकेदार ने भूमि संबंधी मंजूरी न मिलने और निधियों को जारी न किए जाने जैसे विभिन्न लॉजिस्टिकल मुद्दों के मद्देनजर परियोजना में हुए विलंब के कारण निर्माण की बढ़ती लागत के दृष्टिगत परियोजना को बीच में ही अथवा शुरू होने के तुरंत बाद छोड़ दिया। इन बाधाओं के कारण सड़क निर्माण परियोजनाओं के यथासमय पूरा होने में अवरोध उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण वंचित ग्रामीण आबादी प्रभावित हुई है जो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पूर्णतः बेहतर सड़क संपर्क पर निर्भर है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में समिति यह पुरजोर सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधियों को यथासमय जारी करने के लिए राज्य सरकारों के साथ प्रभावी समन्वय, अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने तथा अन्य मंत्रालयों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने जैसे पर्याप्त उपाय करके लंबित परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। अतः, समिति इस बात पर बल देती है कि ग्रामीण विकास विभाग के लिए यह अनिवार्य है कि वह प्राथमिकता आधार पर इन मुद्दों का समाधान करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएमजीएसवाई परियोजनाओं को बिना किसी लागत वृद्धि के निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा किया जाए। योजना के अंतर्गत सभी स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन की इस प्रयोजनार्थ विकसित मौजूदा तंत्र के माध्यम से गहन निगरानी की जानी चाहिए।

1.22 ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई संबंधी उत्तर में निम्नवत बताया है:

"कार्यक्रम को पारदर्शी बनाने और नियोजन/कार्यान्वयन के संदर्भ में कार्यक्रम की निगरानी हेतु सुगम पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, ऑनलाइन निगरानी, प्रबंधन एवं लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) नामक एक वेब-आधारित कार्यक्रम निगरानी सूचना प्रणाली विकसित की गई है। सभी स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी वास्तविक समय के आधार पर ओएमएमएएस के माध्यम से की जाती है। ओएमएमएएस से संबंधित आँकड़े सार्वजनिक डोमेन

में भी उपलब्ध हैं। मंत्रालय राज्यों के साथ विभिन्न स्तरों पर इस मुद्दे की निगरानी कर रहा है। एसएनए स्पर्श की शुरुआत से राज्य अंश के समय पर जारी होने में सुधार की उम्मीद है।मंत्रालय राज्यों के साथ विभिन्न स्तरों पर इस मुद्दे की निगरानी कर रहा है। एसएनए स्पर्श की शुरुआत से राज्य अंश के समय पर जारी होने में सुधार की उम्मीद है। राज्यों को आगे निधियां जारी करने के लिए पात्र होने हेतु कार्यक्रम दिशानिर्देशों और वित्त मंत्रालय की अन्य शर्तों का पालन करना होगा। इन मुद्दों को शीघ्र समाधान के लिए राज्यों के साथ नियमित रूप से उठाया जाता है। जहां तक कच्चे माल और श्रम घटक की लागत में वृद्धि का संबंध है, यह उल्लेख किया गया है कि एक बार परियोजना स्वीकृत हो जाने के बाद, योजना के अंतर्गत समय की अधिकता के कारण लागत वृद्धि के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। दिशानिर्देशों में सड़कों/पुलों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए समय-सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है और राज्यों को भी इसका पालन करना होगा, क्योंकि पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय-सीमा निश्चित होती है। यदि कार्य में ज्यादा समय लगने के कारण लागत बढ़ जाती है, तो राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे अतिरिक्त लागत को वहन करें, जो समय और लागत में वृद्धि के प्रति अवरोधक का काम करती है।"

का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025

<u>समिति की टिप्पणियाँ</u>

1.23 समिति ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं में देरी और ठहराव के संबंध में सरकार के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच की है और रियल टाइम ट्रेकिंग और आंकड़ों तक सार्वजनिक पहुंच के लिए ऑनलाइन मानिटरिंग, मैनेजमेंट एंड आकउंटिंग सिस्टम (ओएमएमएएस), राज्यों के साथ नियमित उच्च-स्तरीय निगरानी, एसएनए स्पर्श के माध्यम से निधि जारी करने में सुधार और समय वृद्धि के कारण लागत वृद्धि का बोझ निरूत्साहन के रूप में पूरी तरह से राज्यों पर डालने वाले मौजूदा तंत्र की सराहना

की है। हालांकि, समिति इस बात से बहुत चिंतित है कि, इन उपायों के बावजूद, बड़ी संख्या में परियोजनाओं में निरंतर अत्यधिक देरी हो रही है, ठेकेदार अक्सर भूमि के मुद्दों, देरी से धन जारी करने और बढ़ती लागत के कारण काम बीच में ही छोड़ देते हैं, जिससे अंततः ग्रामीण कनेक्टिविटी में बाधा आती है और लागत में भारी वृद्धि होती है। लगातार जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, समिति धीमी प्रगति और अनिवार्य उपचारात्मक कार्य योजनाओं के लिए स्वचालित पूर्व चेतावनी अलर्ट के साथ ओएमएमएएस को बढ़ाकर निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की पुरजोर सिफारिश करती है। समिति ने एक राष्ट्रीय ब्लैकलिस्टिंग डेटाबेस के निर्माण के साथ-साथ अनुबंध को तत्काल समाप्त करने, प्रतिभूतियों को जब्त करने और दोषी ठेकेदारों को अनिवार्य रूप से काली सूची में डालने जैसी कड़ी कार्रवाई करने के जिए कहा है। समिति, निर्धारित समय सीमा के भीतर भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी जैसी महत्वपूर्ण बाधाओं को दूर करने के लिए एक फास्ट-ट्रैक तंत्र की आवश्यकता पर जोर देती है। समिति ने वास्तविक माइलस्टोन से जुड़े सख्त निधि प्रवाह अनुशासन, असाधारण मामलों में उचित लागत वृद्धि के लिए सीमित प्रावधान, ठेकेदारों की बेहतर पूर्व-योग्यता, क्लस्टर-आधारित और मशीनीकृत निर्माण को बढ़ावा देने और पारदर्शी डैशबोर्ड और शिकायत निवारण प्रणालियों के माध्यम से अधिक सार्वजनिक उत्तरदेही का भी सुझाव दिया है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण, समिति ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) से लंबित कार्यों की स्थिति और देरी को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का आग्रह करती है। यह लागत में और वृद्धि को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि पीएमजीएसवाई के सामाजिक-आर्थिक लाभ मूल रूप से परिकल्पित ग्रामीण आबादी तक पहुंचे और ये देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

VII. <u>पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क निर्माण मानदंडों और मानकों में छूट</u>

सिफारिश (क्रम सं. 7)

1.24 पीएमजीएसवाई के तहत सड़क निर्माण मानदंडों और मानकों में छूट के संदर्भ में, समिति ने निम्नवत सिफारिश की :

"समिति का यह मत है कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और ग्रामीण सड़क संपर्क को समग्र रूप से और बेहतर करने तथा बेहतर विचारों को शामिल करने की सदैव गुंजाइश रहती है। ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय है और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने और उनके रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है, जो इस योजना के कार्यान्वयन प्राधिकरण हैं। इस योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कें पीएमजीएसवाई के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होती हैं। समिति को अपने अध्ययन दौरे के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सड़क निर्माण के लिए भूमि / स्थान की अनुपलब्धता और इसकी चौड़ाई कम होने के संबंध में जानकारी दी गई थी।

अतः, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समिति ग्रामीण विकास विभाग से यह आग्रह करती है कि पीएमजीएसवाई के प्रावधानों और दिशा-निर्देशों में संशोधन करके सड़क निर्माण मानदंडों में छूट दी जाए ताकि राज्य सरकारों को उनकी स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों और परिवहन आवश्यकताओं के आधार पर सड़क को अपने अनुरूप चौड़ा करने और मानदंडों को तैयार करने की छूट मिल सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि 100 किलोमीटर की अतिरिक्त सड़कों के निर्माण का आबंटन संसद के स्थानीय प्रतिनिधि की अनुशंसा के आधार पर किया जाए और इसके लिए निधि का आबंटन भारत की संचित निधि से किया जाए।"

1.25 ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई संबंधी उत्तर में निम्नवत बताया है:

"पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण सड़कों के विनिर्देशों, भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के ग्रामीण सड़क संहिता (आईआरसी: एसपी:20),आईआरसी:एसपी:72 और जहां आवश्यक हो, पहाड़ी सड़क संहिता

(आईआरसी: एसपी:48) और अन्य आईआरसी कोड/दिशानिर्देशों में दिए गए तकनीकी विनिर्देशों और ज्यामितीय डिजाइन मानकों के अनुसार किया जाता है।"

का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025

समिति की टिप्पणियाँ

1.26 समिति ने सरकार के की-गई-कार्रवाई उत्तर की जांच की है, जिसमें कहा गया है कि सभी पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण ग्रामीण सड़कों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के विनिर्देशों, आईआरसी:एसपी:20, आईआरसी:एसपी:72, आईआरसी:एसपी:48 (पहाड़ी सड़कों के लिए) और अन्य प्रासंगिक आईआरसी कोड के लिए निर्धारित तकनीकी विनिर्देशों और ज्यामितीय डिजाइन मानकों के अनुसार किया जाता है। एक समान गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के महत्व को स्वीकार करते हुए, समिति ने चिंता व्यक्त की है कि भूमि की भारी कमी, कठिन स्थलाकृति और स्थानीय भौगोलिक चुनौतियों के कारण इन मानदंडों विशेष रूप से सड़क की चौड़ाई और संरेखण आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन कई क्षेत्रों में अव्यावहारिक साबित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर परियोजनाओं में देरी होती है या ये रूक जाती हैं। मुख्य गुणवत्ता से समझौता किए बिना इन जमीनी स्तर की बाधाओं को दूर करने के लिए, समिति सड़क की चौड़ाई में मामला-दर-मामला छूट उचित कारण, भू-टैग किए गए साक्ष्य और अनुमोदन तंत्र के अधीन की अनुमति देकर दिशानिर्देशों में लचीलापन लाने की सिफारिश करती है (उदाहरण के लिए, भूमि-दुर्लभ या कठिन इलाकों में कैरिजवे को 5.5 मीटर से घटाकर 3.75-4.5 मीटर करना)। समिति का सुझाव है कि सड़कों को यातायात की मात्रा और भू-भाग के आधार पर विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया जाए, मामूली विचलन को मंजूरी देने के लिए राज्य स्तरीय समितियों को सीमित शक्तियां सौंपी जाएं और तीसरे पक्ष के गुणवत्ता ऑडिट के साथ ऑनलाइन निगरानी, प्रबंधन और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) पर सभी छूटों को अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित

किया जाए। समिति ने स्थानीय संसद सदस्यों की सिफारिश पर प्रति वर्ष अतिरिक्त 100 किमी सड़कों को मंजूरी देने की अपनी पूर्व की सिफारिश को भी दोहराया है, जिसमें भारत की संचित निधि से निधियां और जहां आवश्यक हो, मानदंडों में छूट का प्रावधान है। इसलिए, समिति ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) से अनुरोध करती है कि वह सड़क की गुणवत्ता और रक्षा की सुरक्षा करते हुए योजना के अधिक प्रभावी और संदर्भ के प्रति संवेदनशील कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए तदनुसार पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों की समीक्षा और उनमें संशोधन करे।

VIII. पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों का आवधिक और अनिवार्य कार्यस्थल पर जाकर निरीक्षण

सिफारिश (क्रम सं. 8)

1.27 पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों के आवधिक और अनिवार्य भौतिक निरीक्षण के संदर्भ में, समिति ने निम्नवत सिफारिश की:

> "सड़कों के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण सड़कें घरेलू व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर प्रदान करने और अंततः जनता की बेहतर आजीविका सुनिश्चित करने संबंधी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के माध्यम से आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के संदर्भ में देश की समृद्धि में अनेक माध्यमों से अपना योगदान देती हैं। यह योजना सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणोन्मुखी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी और वर्षों से प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं में से एक रही है। परंतु समिति इस तथ्य को नोट करते हुए चिंता व्यक्त करती है कि यह योजना निर्माण- पश्चात और राज्यों को सौंपे जाने के पश्चात खराब रखरखाव के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित है। ग्रामीण कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण का पूरा प्रयास अपर्याप्त रखरखाव के कारण बाधित हो जाता है। समिति विभिन्न पक्षों से और अध्ययन दौरों के दौरान अपने स्वयं के अनुभवों के माध्यम से व्यक्त किए गए सरोकारों को नोट करती है कि विभिन्न स्थानों पर पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों का उचित रखरखाव नहीं किया जाता है और वे शुरुआत में ही खराब होने लगती हैं। समिति यह भी नोट करती है कि यद्यपि दिशा-निर्देशों के अंतर्गत

रखरखाव से संबंधित प्रावधान हैं, फिर भी उनका समुचित अनुपालन नहीं हो पा रहा है और इस संबंध में कोई उत्तरदेही भी निश्चित नहीं है। ऐसी महत्वपूर्ण योजना के कार्यान्वयन में ईमानदारी और पारदर्शिता का अभाव प्रतीत होता है। यद्यपि व्यापक निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है, फिर भी पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों का रखरखाव एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।

यह भी देखा गया है कि ठेकेदार अपनी देखरेख में निर्धारित अवधि के पश्चात क्षतिग्रस्त सड़कों पर केवल नाममात्र की मरम्मत करके सड़कों को सौंप देते हैं। अतः, समिति का यह दृढ़ मत है कि कार्यस्थल निरीक्षण के माध्यम से तथा जियो-टैगिंग और मोबाइल एप्लिकेशन जैसी वर्चुअल तकनीकों का उपयोग करके आवधिक आधार पर निर्माण पश्चात भी सड़कों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़कों पर ध्यान दिया जा सके और उनका रखरखाव भालिभांति किया जा सके।

अतः, समिति ग्रामीण विकास विभाग से यह सिफारिश करती है कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के आवधिक और अनिवार्य वास्तविक निरीक्षण के लिए विशिष्ट दलों का गठन किया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि ऐसी सड़कों की पहचान की जाए जिनपर पहले से ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जो जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं तथा या तो विशिष्ट पहल के माध्यम से इनकी मरम्मत की जाए अथवा बेहतर ग्रामीण कनेक्टिविटी और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नए पीएमजीएसवाई आबंटन के अंतर्गत शामिल किया जाए।"

1.28 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिया गया की-गई-कार्रवाई उत्तर निम्नवत है:

"यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्माण के बाद अपर्याप्त रखरखाव के कारण पीएमजीएसवाई के उद्देश्य प्रभावित न हों, मंत्रालय ने गुणवत्ता निगरानी की एक बहु-स्तरीय प्रणाली बनाई है, जिसके तहत परियोजनाओं का समय-समय पर वास्तविक निरीक्षण किया जाता है। संबंधित परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) के तकनीकी कर्मचारी आवधिक और अनिवार्य निरीक्षण करते हैं, जिसमें तकनीकी कर्मचारी कार्य का कार्यस्थल पर जाकर निरीक्षण करते हैं, निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण करते हैं, तथा प्रत्येक परियोजना के लिए बनाए गए गुणवत्ता नियंत्रण

रजिस्टर में परिणामों को दर्ज करते हैं। इसके अतिरिक्त, स्टेज-पासिंग प्रणाली, पीआईयू प्रमुख को बिल पास करने और भुगतान करने से पहले निर्माण के प्रत्येक निर्धारित चरण पर कार्य की गुणवत्ता को प्रमाणित करने का भी आदेश देती है। इसके अलावा, राज्यों ने सेवानिवृत्त इंजीनियरों को राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) के रूप में पैनलबद्ध किया है, जो अपने-अपने राज्यों में निर्माण के निर्धारित चरण में प्रत्येक कार्य का निरीक्षण करते हैं। पारदर्शिता और उत्तरदेही सुनिश्चित करने के लिए कार्यों का निरीक्षण गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (क्यूएमएस) एप्लीकेशन के माध्यम से जियो-टैग्ड फोटोग्राफ के साथ किया जाता है।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के एनआरआईडीए द्वारा पैनलबद्ध राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एनक्यूएम) गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के प्रणालीगत मुद्दों को सामने लाने के लिए विभिन्न राज्यों में यादृच्छिक नमूना आधार पर क्षेत्रीय निरीक्षण करते हैं। यह त्रिस्तरीय तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि गुणवत्ता की जांच न केवल निर्माण चरण में की जाए, अपितु 05 वर्षों की रखरखाव अवधि के दौरान भी इसका निरंतर मूल्यांकन किया जाए, जिससे खराब रखरखाव की समस्या का समाधान हो और पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों का दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित हो।

रखरखाव व्यवस्था में सड़क की दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) और डीएलपी के बाद के चरण के दौरान, क्षेत्र स्तर के इंजीनियरों द्वारा द्विमासिक नियमित निरीक्षण और कार्य निष्पादन मूल्यांकन की एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रणाली ई-मार्ग के तहत बनाई गई है। राज्यों से नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि नियमित निरीक्षण समय पर किए जाएं तथा विनिर्देशों के अनुसार रखरखाव किया जाए।”

(का.ज्ञा.सं. पी-17017/3/2022-आरसी (ईएफएमएस सं. 380695) दिनांक: 06/11/2025)

समिति की टिप्पणियाँ

1.29 समिति ने सरकार के उत्तर की जांच की है और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत विद्‌यमान बहु-स्तरीय गुणवत्ता निगरानी प्रणाली की सराहना की है, जिसमें परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) के तकनीकी कर्मचारियों द्‌वारा समय-समय पर निरीक्षण, स्टेज-पासिंग तंत्र, राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों (एसक्यूएम), राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों (एनक्यूएम), जियो-टैगिंग युक्त गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (क्यूएमएस) और डिफ़ेक्ट लायबिलिटी पीरियड (डीएलपी) तथा उसके बाद के चरण के दौरान ई-मार्ग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत द्‌विमासिक नियमित निरीक्षण शामिल है। यद्‌यपि ये तंत्र व्यापक प्रतीत होते हैं किन्तु समिति इस बात से अत्यधिक चिंतित है कि खराब रखरखाव और सड़कों के जल्दी खराब होना और ठेकेदारों द्‌वारा सड़कों पर केवल नाममात्र की मरम्मत निरंतर जारी है, जो जमीनी स्तर पर अपर्याप्त कार्यान्वयन और उत्तरदेही के अभाव को दर्शाता है। इन स्थायी मुद्‌दों का समाधान करने के लिए, समिति यह सिफारिश करती है कि दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण के साथ समर्पित टीमों द्‌वारा वर्ष में कम से कम दो बार (मानसून से पहले और बाद में) सभी पीएमजीएसवाई सड़कों के अनिवार्य वास्तविक निरीक्षण को संस्थागत बनाया जाए और साथ ही समिति यह भी चाहती है कि शास्ति अधिरोपित करने, लागत वसूलने और रखरखाव संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने जैसे उत्तरदेही संबंधी कठोर उपाय किए जाएं। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों का समय-समय पर वास्तविक निरीक्षण, संरचनात्मक स्थायित्व सुनिश्चित करने, ठेकेदार की उत्तरदेही निश्चित करने और बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश को बचाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समिति समय से पूर्व क्षतिग्रस्त सड़कों की यथासमय मरम्मत के लिए समर्पित पीएमजीएसवाई रोड रिहैबिलिटेशन फंड बनाने, क्यूएमएस, ई-मार्ग, तथा ऑनलाइन निगरानी, प्रबंधन और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) के रियल-टाइम अपडेशन सहित एक पारदर्शी सार्वजनिक डैशबोर्ड के रूप में पूर्ण एकीकरण, स्वतंत्र तृतीय-पक्ष और एनक्यूएम लेखापरीक्षा का दायरा बढ़ाने और

मोबाइल एप-आधारित शिकायत प्रणाली के माध्यम से स्थानीय पंचायतों की अधिक भागीदारी का भी सुझाव देती है। अंततः, समिति यह आग्रह करती है कि ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) निर्माण पश्चात रखरखाव और आवधिक निरीक्षण को अधिक प्राथमिकता दे। ऐसा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि पीएमजीएसवाई में भारी सरकारी निवेश से दीर्घकालिक स्थायी ग्रामीण संपर्क सुनिश्चित होगा और सड़क निर्माण पूरा होने के पश्चात उपेक्षा के कारण यह निवेश निरर्थक न हो।

ix. <u>पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत संशोधित सड़क सर्वेक्षण</u>

<u>सिफारिश (क्रम संख्या 9)</u>

1.30 पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत संशोधित सड़क सर्वेक्षण के संदर्भ में, समिति ने निम्नवत सिफारिश की:

"प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत पीएमजीएसवाई-IV नाम से एक नई शाखा जोड़ी गई है जिसका उद्देश्य 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500+ आबादी और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची-V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्रों) में 250+ आबादी और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाली बसावटों, जहाँ सड़कों की सुविधा नहीं हैं, में बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 70,125 करोड़ रुपये (केंद्र का हिस्सा: 49,087.50 करोड़ रुपये, राज्य का हिस्सा: 21,037.50 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय के साथ 25,000 बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लक्ष्य के साथ लागू की जाएगी। यह प्रस्तावित है कि इन सम्पर्क रहित बस्तियों के लिए 62,500 किलोमीटर की बारहमासी सड़को की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इन सड़कों के संरेखण के साथ आवश्यक पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। यह नई शाखा ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के लिए अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक विकास और परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। तथापि, समिति यह चिंता व्यक्त करती

है कि पीएमजीएसवाई-IV सड़क सर्वेक्षण वर्तमान में अप्रचलित 2011 की जनगणना पर आधारित है, जो वर्तमान आबादी, बस्तियों के विस्तार और बुनियादी ढांचे की बढ़ती जरूरतों को नहीं दर्शाता है। चूंकि, नई जनगणना अभी तक नहीं कराई गई है, इसलिए सर्वेक्षण में वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है, जिसके परिणामस्वरूप अपात्र बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है जबकि वास्तविक लाभार्थियों की अनदेखी की जाती है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि समान और अंतिम छोर तक ग्रामीण सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के लिए पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत सड़क सर्वेक्षण को नवीनतम उपलब्ध जनसंख्या आंकड़ों अथवा अंतरिम आकलन के आधार पर संशोधित किया जाना चाहिए। इससे वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने, ढांचागत बाधाओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सड़कों को सबसे अधिक जरूरत वाले क्षेत्रों में उचित रूप से आवंटित किया जाए। इसके अलावा, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि सर्वेक्षण से पूर्व स्थानीय संसद सदस्य (एमपी) से परामर्श किया जाना चाहिए, और प्रत्येक सर्वेक्षण की स्थानीय संसदीय प्रतिनिधि से जांच करवाई जानी चाहिए और उनसे अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। समिति इस बात पर जोर देती है कि संसदीय निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सड़क नेटवर्क उन लोगों को लाभान्वित करे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है और नौकरशाही की चूकों या पुराने आंकड़ों के कारण कोई भी पात्र बसावट छूट न जाए। सड़क सुविधा रहित पात्र ग्रामीण बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए ऐसे कदम अत्यंत आवश्यक हैं जिससे आर्थिक और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच आसान हो और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिले।"

1.31 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिया गया की-गई-कार्रवाई उत्तर निम्नवत है:

"पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत बसावटों के सर्वेक्षण के लिए ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप शुरू किया गया है और इसे एसआरआरडीए द्वारा पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है। एसआरआरडीए को प्रशिक्षण भी दिया गया है। डेटा को ओएमएमएएस पर अपलोड कर दिया

गया है तथा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय/एनआरआईडीए ने अस्थायी रूप से चिन्हित बसावटों की भी जांच की।"

(का.ज्ञा.सं. पी-17017/3/2022-आरसी (ईएफएमएस सं. 380695) दिनांक: 06/11/2025)

<u>समिति की टिप्पणियाँ</u>

1.32 समिति ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप की शुरुआत करने, राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) को प्रदान किए गए प्रशिक्षण, ऑनलाइन निगरानी, प्रबंधन और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) संबंधी डाटा अपलोड करने और ग्रामीण विकास मंत्रालय/एनआरआईडीए द्वारा की गयी संवीक्षा की सराहना करती है। हालांकि, डिजिटलीकरण की दिशा में उठाए गए ये कदम स्वागत योग्य हैं, लेकिन समिति यह चिंता व्यक्त करती है कि नए चरण के लिए सर्वेक्षण, जिसका उद्देश्य लगभग 25,000 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ना है, मुख्य रूप से 2011 की जनगणना के पुराने आंकड़ों पर आधारित है। इसके परिणामस्वरूप, जनसंख्या वृद्धि, नई और उभरती बसावटों जैसी वर्तमान जमीनी वास्तविकताओं का पता नहीं चल पाता है, जिससे वास्तव में पात्र क्षेत्रों के स्थान पर अन्य अपात्र क्षेत्रों को शामिल किए जाने का जोखिम रहता है। लाभार्थियों की सटीक पहचान और समान सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के लिए, समिति यह भी सिफारिश करती है कि मतदाता सूची, आधार जैसे स्रोतों और हाल के अनुमानों से जनसंख्या संबंधी नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करके सर्वेक्षण का तत्काल संशोधन और सत्यापन किया जाए और साथ ही पुरजोर रूप से यह दोहराती है कि बसावट संबंधी सूचियों को अंतिम रूप देने से पूर्व जिला स्तर पर स्थानीय संसद सदस्यों के साथ अनिवार्य रूप से परामर्श किया जाए और उनसे प्राप्त जानकारी को विधिवत दर्ज किया जाए। इसके अतिरिक्त, सुझावों में कम से कम 20 प्रतिशत बसावटों (विशेषकर जनजातीय, पहाड़ी और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में) को शामिल करते हुए स्वतंत्र तृतीय-पक्ष सत्यापन, ऑनलाइन निगरानी, प्रबंधन और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) से जुड़े पारदर्शी सार्वजनिक डैशबोर्ड पर सर्वेक्षण की संपूर्ण सूची

(शामिल और बाहर किए गए) का प्रकाशन और नई उभरती हुई बसावटों को शामिल करने के लिए निरंतर अद्यतन किए जाने हेतु एक व्यापक तंत्र विकसित किया जाना शामिल है। अंततः, समिति ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) से यह भी आग्रह करती है कि वह इसे प्राथमिकता आधार पर ले और तीन माह के भीतर सर्वेक्षण संशोधन, संसद सदस्य के साथ किए गए परामर्शों और इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में एक विस्तृत की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। इससे पीएमजीएसवाई-IV को सर्वाधिक पात्र दूरदराज की ग्रामीण बसावटों को अंतिम छोर तक बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने और वास्तविक सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

x. केंद्र और राज्य के बीच उचित समन्वय

सिफारिश (क्रम संख्या 10)

1.33 केंद्र और राज्य के बीच उचित समन्वय के संदर्भ में, समिति ने निम्नवत सिफारिश की:

"समिति नोट करती है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू केंद्र-राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर निर्भर करता है। इस समन्वय में वित्तपोषण, परियोजना नियोजन, गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। यह योजना वर्ष 2000 में 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। हालांकि, वित्त वर्ष 2015-16 से वित्तपोषण पैटर्न को संशोधित करके सभी राज्यों में 60:40 कर दिया गया था, सिवाय आठ पूर्वोत्तर राज्यों और तीन हिमालयी राज्यों के, जहां यह अनुपात 90:10 है। इस प्रकार, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निधियों का निर्बाध प्रवाह बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि, निधियां जारी करने का मुद्दा अत्यन्त महत्वपूर्ण है, फिर भी ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय होने के कारण, प्रभावी कार्यान्वयन की जिम्मेदारी विभिन्न अन्य कारकों पर भी

निर्भर करती है जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा त्वरित और पूर्वव्यापी दृष्टिकोण अपनाया जाना अपेक्षित है। इस संदर्भ में, समिति पाती है कि कई राज्यों में विभिन्न परियोजनाएं संभारतंत्र संबंधी मुद्दों या केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा दोनों द्वारा समय पर निधियां जारी न किए जाने के कारण विलंबित हो जाती हैं अथवा रुक जाती हैं। इसलिए, समिति ग्रामीण विकास विभाग से यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाएं केन्द्र और राज्य के बीच समन्वय की कमी के कारण बाधित न हों बल्कि योजना को सकारात्मक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र के साथ-साथ समन्वय की एक बेहतर एकीकृत व्यवस्था स्थापित की जाए।

1.34 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिया गया की-गई-कार्रवाई उत्तर निम्नवत है:

"योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच प्रभावी समन्वय हेतु विभिन्न संस्थागत तंत्र पहले से ही मौजूद हैं। मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकों, राज्यों के साथ पूर्व-अधिकारप्राप्त/अधिकारप्राप्त समिति बैठकों के माध्यम से योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है। जिला स्तर पर, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता वाली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) पीएमजीएसवाई सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। उपरोक्त के अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें/मासिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं ताकि योजना की प्रगति का जायजा लिया जा सके और यदि कोई बाधाएँ हों, तो उन्हें दूर किया जा सके। जब भी राज्य योजना के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई की सूचना देते हैं, तो उसका समाधान किया जाता है और सकारात्मक परिणाम के लिए संबंधित एजेंसियों के समक्ष उचित स्तर पर मुद्दों को उठाया जाता है।

पीएमजीएसवाई में निधियां जारी करने की एक निर्बाध श्रृंखला है और निधियों की अनुपलब्धता के कारण कोई भी कार्य बाधित नहीं हुआ है। कभी-कभी केंद्र सरकार द्वारा जारी निधियां राज्य के कोष में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक रुकी रहती है, तथापि, हाल ही में संबंधित राज्य सरकारों के साथ निरंतर संपर्क के कारण इस समस्या का समाधान भी हो गया है।"

(का.ज्ञा.सं. पी-17017/3/2022-आरसी (ईएफएमएस सं. 380695) दिनांक: 06/11/2025)

<u>**समिति की टिप्पणियाँ**</u>

1.35 समिति क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), परफॉर्मेंस रिव्यू कमिटी (पीआरसी) की बैठकों, एम्पावर्ड कमिटी की बैठकों, माननीय संसद सदस्यों की अध्यक्षता में दिशा समितियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित उच्च-स्तरीय समीक्षा सहित केंद्र-राज्य समन्वय के लिए पहले से विद्यमान विभिन्न संस्थागत तंत्रों की सराहना करती है। केंद्रीय निधि के निर्बाध प्रवाह संबंधी आश्वासन और राज्य कोषागारों से उनके जारी होने में विलंब को दूर करने के प्रयासों को भी नोट किया गया है। तथापि, समिति यह चिंता व्यक्त करती है कि इन प्लेटफार्मों के बावजूद, समन्वय के अभाव के कारण परियोजना के कार्यान्वयन, निधियाँ जारी करने (विशेष रूप से राज्य का हिस्सा), और कई राज्यों में मूलभूत बाधाओं को दूर करने में विलंब होता है। योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय, आयोजना को मानकीकृत करने, निर्बाध निधि संवितरण सुनिश्चित करने और बिना किसी विलंब के परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समन्वय को सुदृढ़ करने और पीएमजीएसवाई का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, समिति यह भी सिफ़ारिश करती है कि निधियाँ जारी करने और उपलब्धियों संबंधी ऑटोमेटेड अलर्ट के साथ ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) संबंधी एक एकीकृत रीयल-टाइम डैशबोर्ड विकसित किया जाए। समिति यह भी चाहती है कि राज्य का हिस्सा जारी करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की जाए, समन्वय संबंधी मापदंडों के संबंध में राज्यों की

त्रैमासिक रैंकिंग शुरू की जाए जिसे सार्वजनिक किया जाए और कार्य-निष्पादन को भावी आवंटन के साथ जोड़ा जाए। इसके अतिरिक्त, 'दिशा' बैठकों को अधिक परिणामोन्मुखी बनाने का सुझाव भी दिया गया जिसके अंतर्गत ऐसे मुद्दों जिनका समाधान नहीं किया गया का स्वचालित रूप से त्वरित समाधान किया जाना, विलंब हेतु शास्ति के साथ निधियों को अनिवार्य रूप से पीएफएमएस/एसएनए स्पर्श के माध्यम से जारी किया जाना, अंतर-मंत्रालयी और केंद्र-राज्य संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एक स्थायी संयुक्त समन्वय कार्यबल का गठन किया जाना तथा श्रेष्ठ पद्धतियों और सुधारात्मक कार्रवाइयों को रेखांकित करते हुए एक वार्षिक केंद्र-राज्य समन्वय रिपोर्ट तैयार किया जाना शामिल है।

XI. निरीक्षण हेतु सदस्यों को पूर्व सूचना और उनकी अनिवार्य भागीदारी

सिफारिश (क्रम सं. 14)

1.36 पूर्व सूचना और निरीक्षण के लिए सदस्यों की अनिवार्य भागीदारी के संदर्भ में, समिति ने निम्नवत सिफारिश की:

> "समिति यह नोट करके चिंतित है कि राज्य सरकार के अधिकारियों और राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षकों द्वारा किए जाने वाले स्थलों के निरीक्षण के बारे में संसद सदस्यों एवं संबंधित सदस्यों को पूर्व सूचना प्रायः नहीं मिल पाती और निरीक्षण दल के प्रस्थान या न आने की सूचना सदस्यों तक पहुँच जाती है। योजना में स्पष्ट सैद्धांतिक प्रावधान होने के बावजूद, इनका कई बार उल्लंघन किया गया है और संसद सदस्यों के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। योजना की दोनों नोडल एजेंसियों (केंद्र और राज्य) के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि निर्माण स्थलों के निरीक्षण में संसद सदस्य की भागीदारी के संबंध में योजना के अंतर्गत उल्लिखित अनिवार्य प्रावधान का कड़ाई से पालन किया जाए। इसके अलावा, केंद्र या राज्य से निरीक्षण दल के आगमन की सूचना संबंधित संसद सदस्यों को सभी संभव संचार माध्यमों से कम से कम एक सप्ताह पहले दी जाए ताकि वे निर्माण स्थलों के निरीक्षण के लिए स्वयं उपस्थित हो सकें। अतः, समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग इस मामले पर गंभीरता से पुनर्विचार करे और पीएमजीएसवाई के प्रावधानों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करे। इसके अलावा, समिति दोनों नोडल

एजेंसियों (केंद्र और राज्य) से यह भी सिफारिश करती है, बल्कि अनुरोध करती है कि वे योजना के उद्देश्य, अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और बेहतर जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में कोई कसर न छोड़ते हुए, एक संयुक्त और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएँ।"

1.37 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का निम्नवत उत्तर दिया गया :

"पीएमजीएसवाई कार्यों के निरीक्षण के संबंध में माननीय संसद सदस्यों को पूर्व सूचना देने संबंधी प्रावधान का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु इस मंत्रालय ने दिनांक 23 जनवरी 2025 के परिपत्र संख्या पी-17025/22(1)/2017-आरसी के माध्यम से संबंधित प्रावधानों को पुनः सक्रिय रूप से साझा किया है। यह परिपत्र ससमय और पारदर्शी संचार के महत्व को रेखांकित करता है और संबंधित परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली पीएमजीएसवाई सड़कों के निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर (एनक्यूएम) के दौरों के संबंध में माननीय संसद सदस्य को पहले से सूचित करने का अधिदेश प्रदान करता है। इसके अलावा, राज्य गुणवत्ता समन्वयक (एसक्यूसी) यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि जब तक ओएमएमएएस पर ऑनलाइन सुविधा पूरी तरह से चालू नही हो जाती तब तक ऐसी सूचना माननीय सांसद को विधिवत रूप से दी जाए, साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय और एनआरआईडीए को भी एक प्रति भेजी जाए। परिपत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अग्रिम सूचना के साथ-साथ टेलीफोन पर भी पुष्टि की जानी चाहिए, ताकि माननीय संसद सदस्य या उनके अधिकृत प्रतिनिधि निरीक्षण में भाग ले सकें और मूल्यवान टिप्पणियां प्रदान कर सकें, जिससे सड़क की गुणवत्ता की निगरानी में अधिक पारदर्शिता, उत्तरदेही और सहयोग को बढ़ावा मिले।"

का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025

<u>समिति की टिप्पणियाँ</u>

1.38 समिति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की निरीक्षणों के संबंध में माननीय संसद सदस्यों को पूर्व सूचना सुनिश्चित करने के लिए एक सकारात्मक कदम के

रूप में सरकार द्वारा परिपत्र जारी करने की सराहना करती है। तथापि, समिति इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त करती है कि पिछले उल्लंघनों को देखते हुए केवल एक परिपत्र जमीनी स्तर पर प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सकता है। अतः, समिति मासिक अनुपालन रिपोर्टों के साथ-साथ ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) पर ऑनलाइन सूचना सुविधा के पूर्ण संचालन के लिए एक निश्चित समयसीमा (6 महीने के भीतर) की सिफारिश करती है। समिति एक सुदृढ़ उत्तरदेही तंत्र स्थापित करने का भी सुझाव देती है, जिसमें त्रैमासिक समीक्षा, नोडल अधिकारी और परियोजना कार्यान्वयन एककों (पीआईयू) और राज्य गुणवत्ता समन्वयकों (एसक्यूसी) के लिए कार्यक्षमता संबंधी प्रमुख संकेतक (केपीआई) के अनुपालन को जोड़ना शामिल है। अनुपालन को लागू करने के लिए, बार-बार गैर-अनुपालन के लिए प्रशासनिक और वित्तीय दंड लाया जाना चाहिए। सूचना अनिवार्य पावती के साथ कम से कम तीन विधियों (ईमेल, एसएमएस/व्हाट्सएप और पत्र) के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। समिति संसद सदस्यों के लिए एक समर्पित शिकायत पोर्टल, एक संयुक्त केंद्र-राज्य मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और अधिकारियों के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु नियमित कार्यशालाओं का भी आह्वान करती है।

xii. <u>सदस्यों के सुझावों के अनुसार सड़कों का चयन</u>

<u>सिफारिश (क्रम सं. 15)</u>

1.39 सदस्यों के सुझावों के अनुसार सड़कों के चयन के संदर्भ में, समिति ने निम्नवत् सिफारिश की:

> "समिति यह नोट करके चिंतित है कि योजना के अधीन इस प्रावधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है कि योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु सड़कों को मंजूरी देने/चयन करते समय संसद सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों/सलाह पर उचित विचार किया जाना चाहिए। निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते, संसद सदस्य प्रभावी रूप से स्थानीय आबादी की भावनाओं और सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीएमजीएसवाई जैसी कल्याणकारी योजनाओं के विभिन्न पहलुओं से जुड़े स्थानीय अनुभवों के माध्यम से सुदृढ़ नीति तैयार करने में सहायता मिलेगी। संसद सदस्यों ने

इस संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है कि यद्यपि योजना के अंतर्गत सड़क परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में उनकी स्पष्ट भूमिका निर्धारित की गई है, फिर भी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा इस नियम को समुचित महत्व नहीं दिया जाता है। समिति का मत है कि निरीक्षण दल, डीपीआर तैयार करने वाले दल आदि को निश्चित रूप से स्थानीय संसद सदस्यों से प्राप्त जानकारी का लाभ उठाना चाहिए ताकि वे उस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की वास्तविक स्थिति से परिचित हो सकें। इस तरह, यदि संसद सदस्य गुणावगुण के आधार पर स्थानीय लोगों द्वारा महसूस की गई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ऐसी सड़कों/स्थलों को शामिल करने हेतु अपने सुझाव देते हैं तो ग्रामीण विकास विभाग को इस अनुरोध पर तत्परता से विचार करना चाहिए और ऐसे सुझावों/सलाह को शामिल करने के सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए जिससे बाद में भी स्थानीय ग्रामीण आबादी के सरोकारों का समाधान किया जा सके। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को प्राथमिकता के आधार पर सदस्यों द्वारा सुझाई गई सड़कों को वरीयता देनी चाहिए और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उनके अनुभव / कौशल / सलाह का बेहतर उपयोग करना चाहिए। सड़क परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए संसद सदस्यों के सुझावों/सिफारिशों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए ताकि उनके दृष्टिकोण और सरोकारों को शामिल किया जा सके।"

1.40 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का निम्नवत उत्तर दिया गया :

"माननीय संसद सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों को प्राथमिकता दी जाती है बशर्ते कि वे पीएमजीएसवाई के दिशानिर्देशों और उद्देश्यों को पूरा करती हो। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा दिनांक 16-12-2019 के पत्र द्वारा एक परामर्श जारी किया गया है जिसमें पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क कार्यों की योजना बनाने और कार्यान्वयन में माननीय संसद सदस्यों और अन्य निर्वाचित सदस्यों की भूमिका का विवरण दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत सड़क कार्यों की योजना बनाने और चयन में माननीय संसद सदस्यों की भूमिका पर दिनांक 2-6-2020 को सभी राज्यों को एक परामर्श भी जारी किया गया है।

माननीय संसद सदस्यों/विधायकों के प्रस्तावों के संबंध में पीएमजीएसवाई-IV दिशानिर्देशों के प्रासंगिक पैरा नीचे दिए गए हैं:

पैरा 5.5: व्यापक नई संपर्कता प्राथमिकता सूची तैयार और सत्यापित होने के बाद, इसे जिला पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संसद सदस्यों/विधायकों को सीएनसीपीएल की एक प्रति दी जाएगी और उनके सुझावों तथा निचले स्तर की पंचायती राज संस्थाओं के सुझावों पर जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन प्रदान करते समय पूर्णतः विचार किया जाएगा।

पैरा 5.6: जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन के बाद, परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) द्वारा प्रस्तावों को राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को भेजा जाएगा। उस समय, पीआईयू, संबंधित संसद सदस्यों की सहमति से, एमपी-I प्रारूप में संसद सदस्यों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का विवरण और एमपी-II प्रारूप में उन पर की गई कार्रवाई का विवरण, प्राथमिकता और अन्य विवरण दर्शाते हुए, तैयार करेगी और उसे प्रस्तावों के साथ भेजेगी। उन सभी मामलों में जहाँ किसी संसद सदस्य का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है, जिला पंचायत द्वारा एमपी-II प्रारूप में दिए गए तर्कों के आधार पर ठोस कारण बताए जाएँगे।

पैरा 5.7 राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसआरआरडीए) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावों की जाँच करेगी कि वे दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और उन्हें एमपी-I और एमपी-II विवरणों के साथ राज्य स्तरीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

पैरा 5.8 राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) प्रस्तावों की जाँच करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और संसद सदस्यों (एमपी) के प्रस्तावों पर पूर्ण विचार किया गया है। ऐसे सभी मामलों में जहाँ किसी संसद सदस्य का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है, संबंधित संसद सदस्य को ठोस कारण बताए जाएँगे और इन्हें एसएलएससी की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा।

का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025

<u>समिति की टिप्पणियाँ</u>

1.41 समिति 2019 और 2020 में जारी मार्गनिर्देशिका और पीएमजीएसवाई-IV दिशानिर्देशों के पैरा 5.5 से 5.8 के अंतर्गत विस्तृत प्रावधानों सहित सरकार के प्रतिउत्तर को स्वीकार करती है, जो सड़क चयन में माननीय संसद सदस्यों के सुझावों पर उचित विचार करने के लिए अनिवार्य है। तथापि, समिति चिंता के साथ नोट करती है कि इन दिशानिर्देशों के बावजूद, संसद सदस्यों के प्रस्तावों को अक्सर पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी जाती है या जमीन पर उचित औचित्य के बिना खारिज कर दिया जाता है। अतः, समिति प्रोफार्मास एमपी-I और

एमपी-II का कड़ाई से पालन करने की सिफारिश करती है, जिसमें अस्वीकृति के ठोस कारणों के साथ 30 दिनों के भीतर संसद सदस्य को सूचित किया जाना चाहिए। संसद सदस्य के सभी सुझावों को ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) पर एक केंद्रीकृत ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से अधिकतम 90 दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए। समिति यह भी सुझाव देती है कि ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) द्वारा संसद सदस्यों द्वारा सुझाई गई सड़कों की समावेशन दर का आकलन करने, परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) और राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के अधिकारियों के निष्पादन मूल्यांकन के अनुपालन से सम्बद्धता और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संसद सदस्यों के स्थानीय ज्ञान और सुझावों को ईमानदारी से शामिल करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए नियमित अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया गया है।

XIII. शिलान्यास और उद्घाटन समारोह के लिए सदस्यों को आमंत्रण

सिफारिश (क्रम सं. 16)

1.42 शिलान्यास और उद्घाटन समारोहों के लिए सदस्यों को आमंत्रित करने के संदर्भ में, समिति ने निम्नवत सिफारिश की :

"समिति को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत किसी परियोजना के शिलान्यास और तत्पश्चात निर्मित सड़कों के उद्घाटन के समय अनुपालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल से संबंधित पीएमजीएसवाई के मानदंडों/प्रावधानों के उल्लंघन और संबंधित जिले के संसद सदस्य की भागीदारी के संबंध में लगातार सूचित किया गया है। यह एक अन्य चिंता का विषय है जिसमें वास्तविकता और जमीनी हकीकत कई अवसरों पर एक-दूसरे से पूर्णतः भिन्न होती है। यद्यपि समिति द्वारा पूर्ववर्ती सिफारिशों के माध्यम से इसके बारे में कहा गया था, फिर भी इन मानदंडों का निरंतर अनुपालन न किया जाना समिति के लिए चिंता का विषय है। अतः समिति ग्रामीण विकास विभाग से यह सिफारिश करती है कि वह इस मामले की पुनः जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि पीएमजीएसवाई कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन समारोहों के समय संसद सदस्यों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए। राज्य स्तर पर प्राधिकारियों को भी इन

मानदंडों / प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए कहा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, समिति यह भी सिफारिश करती है कि उद्घाटन और शिलान्यास समारोहों की प्रत्येक की एक अच्छी फोटोग्राफ, जिसमें प्लैक के साथ संसद सदस्य की स्पष्ट तस्वीर हो, ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) पर अपलोड किया जाना चाहिए। संबंधित विभाग/राज्य इस प्रयोजनार्थ निर्धारित दिशा-निर्देशों के समुचित कार्यान्वयन के लिए ठोस कदम उठाएं।

1.43 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का निम्नवत उत्तर दिया गया :

"पीएमजीएसवाई कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन समारोहों के लिए जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.02.22 को एक परामर्श पहले ही जारी किया जा चुका है और वह अनुबंध में संलग्न है।"

का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025

समिति की टिप्पणियाँ

1.44 समिति सरकार के प्रतिउत्तर को स्वीकार करती है और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत शिलान्यास और उद्घाटन समारोहों के लिए जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के संबंध में दिनांक 03.02.2022 को जारी की गई सलाह की सराहना करती है। तथापि, समिति इस बात को लेकर चिंतित है कि इस तरह की मार्गनिर्देशिका के बावजूद, उल्लंघन जारी है और संसद सदस्यों को अक्सर आमंत्रित नहीं किया जाता है, जो स्थापित संसदीय प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों(प्रोटोकॉल) को कमजोर करता है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) राज्य सरकारों और पीआईयू को कई संचार प्रणालियों (ईमेल, पत्र और एसएमएस) के माध्यम से संबंधित माननीय संसद सदस्य या उनके प्रतिनिधि को कम से कम 15 दिन पहले आमंत्रित करने के लिए कठोर अनिवार्य निर्देश जारी करें। कार्यक्रम की उच्च-गुणवत्ता वाली तस्वीरें, जो पट्टिका के साथ संसद सदस्यों की भागीदारी को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं, समारोह के 7 दिनों के भीतर ओएमएमएमएएस पर अनिवार्य

रूप से अपलोड की जानी चाहिए। समिति अनुपालन को ट्रैक करने के लिए एक त्रैमासिक निगरानी तंत्र स्थापित करने, होने वाले लगातार उल्लंघनों को प्रशासनिक उत्तरदेही से जोड़ने और 2022 की मार्गनिर्देशिका के प्रभावी कार्यान्वयन और इन प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अधिकारियों को जागरूक बनाने हेतु नियमित कार्यक्रम आयोजित करने का भी सुझाव देती है।

XIV. <u>सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों का निवारण</u>

सिफारिश (क्रम सं. 16)

1.45 सदस्यों द्वारा उठाई गई शिकायतों के निवारण के संदर्भ में, समिति ने निम्नवत सिफारिश की:

"समिति यह नोट करके चिंतित है कि पीएमजीएसवाई के कार्यों में निष्क्रियता/अनियमितताओं के संबंध में शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने और उनका निवारण करने से संबंधित संसद सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है। समिति यह महसूस करती है कि ग्रामीण विकास विभाग के इस दृष्टिकोण में तत्काल बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। संसद सदस्य संवैधानिक पदधारिकारी होते हैं और अधिकांश जनता की आवाज़ / सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके माध्यम से ही आम आदमी के सरोकार शीर्ष स्तर पर अधिकारियों के संज्ञान में आते हैं। इसलिए, संसद सदस्य द्वारा उजागर किए गए योजना से जुड़े वास्तविक सरोकारों को गंभीरता से लिए जाने और संबंधित सदस्यों को सूचित करते हुए ऐसी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण किए जाने की आवश्यकता है। अतः समिति ग्रामीण विकास विभाग से यह आग्रह करती है वह निर्धारित समय-सीमा के भीतर योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करे।

1.46 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का निम्नवत उत्तर दिया गया :

"मंत्रालय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी संदर्भों के निपटान हेतु निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करता है और निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करता है। संसद सदस्यों से प्राप्त संदर्भों/शिकायतों के निपटारे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। तथापि, कुछ मामलों में संबंधित राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त न होने के कारण देरी

हो जाती है। कुछ मामलों में, जिन सड़कों के निर्माण कार्य के विरुद्ध शिकायत की गई है, उनके निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एनक्यूएम) की टीम को नियुक्त करना पड़ता है। इन सभी प्रक्रियाओं में कुछ समय लगता है और इसलिए देरी हो सकती है। तथापि, मंत्रालय देरी को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करता है।"

का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025

समिति की टिप्पणियाँ

1.47 समिति सरकार के इस प्रतिउत्तर की सराहना करती है कि संसद के माननीय सदस्यों से प्राप्त शिकायतों को निर्धारित समय-सीमा के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है। सार्वजनिक धन की पारदर्शिता, उत्तरदेही और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ऐसी शिकायतों का निवारण महत्वपूर्ण है। तथापि, समिति राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाली धीमी जानकारी और राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एनक्यूएम) के निरीक्षणों में लगने वाले समय के कारण बार-बार होने वाले विलंब के बारे में चिंतित है। अतः, समिति विलंब होने पर स्वचालित उच्चस्तरीय प्रेषण के साथ स्पष्ट समय-सीमा (उदाहरण के लिए, पावती के लिए 30 दिन और अंतिम निवारण के लिए 60-90 दिन) निर्धारित करने की सिफारिश करती है। समिति ने संसद सदस्यों की शिकायतों की वास्तविक समय पर ट्रैक करने, समय पर प्रत्युत्तरों के लिए राज्यों की उत्तरदेही तय करने और यह सुनिश्चित करने के लिए ओएमएमएएस पर एक समर्पित मॉड्यूल विकसित करने का भी सुझाव दिया है कि प्रत्येक मामले में संबंधित संसद सदस्यों को अनिवार्य विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भेजी जाए। लंबित मामलों और समाधान सम्बन्धी समय की त्रैमासिक समीक्षा की जानी चाहिए और समिति के साथ साझा की जानी चाहिए। ये उपाय संसद सदस्यों द्वारा उठाई गई वास्तविक चिंताओं का त्वरित और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करेंगे और शिकायत निवारण तंत्र को सुचारू बनाएंगे।

अध्याय दो

सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

सिफारिश (क्रम सं. 11)

2.1 समिति नोट करती है कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) 2016 में शुरू की गई थी, जिसका प्राथमिक लक्ष्य देश के ऐसे राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना था। पीएमजीएसवाई के तहत इस कार्य को पूरा करने की समय सीमा मार्च, 2020 थी जिसे मार्च, 2025 तक बढ़ाया गया था। इस संबंध में, समिति यह जानकर चिंतित है कि कुल 12,228 किलोमीटर स्वीकृत सड़क की लंबाई में से 14 मई, 2025 तक केवल 9,523 किलोमीटर की लंबाई पूरी हुई है और 2,705 किलोमीटर की लंबाई विस्तारित समय सीमा के बाद भी शेष है। यद्यपि, समिति ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में उग्रवाद, दुर्गम भू-भाग, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, वन संस्वीकृति संबंधी मुद्दों आदि जैसी विशिष्ट प्रकृति की चुनौतियों पर ध्यान दिया है। फिर भी, समिति महसूस करती है कि सभी हितधारकों के बीच समुचित योजना और मजबूत समन्वय के साथ ऐसी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। विशेष प्रयास और शायद सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) जैसे क्षेत्र विशिष्ट पेशेवर जो युद्ध और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में काम करने के लिए कुशल हैं, की सहायता से आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत विलंब से चल रही परियोजनाओं में तेजी लायी जा सकती हैं। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को गंभीरता से नवोन्मेषी विचारों के साथ आगे आना चाहिए और संबंधित राज्यों और सभी हितधारकों का तदनुसार मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अंतर्गत परियोजनाओं में और विलंब न हो और इन्हें तेजी से पूरा किया जाए ताकि इस वर्टिकल के उद्देश्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त किया जा सके।

सरकार का उत्तर

2.2 आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। मंत्रालय कार्यान्वयन करने वाले राज्यों के साथ निरंतर संपर्क में है और राज्यों ने मार्च, 2026 तक व्यवहार्य शेष कार्य पूरा करने के लिए अपनी कार्ययोजनाएँ प्रस्तुत की हैं। मंत्रालय छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों के आरसीपीएलडब्ल्यूईए कार्यों की सक्रिय रूप से समीक्षा कर रहा है और प्रगति में आ रही किसी भी बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी स्वीकृत कार्य विस्तारित समय-सीमा तक पूरे हो जाएँ, जो मार्च, 2026 है।

आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अंतर्गत दिनांक 14.10.2025 की स्थिति के अनुसार 2363 किलोमीटर लंबी 335 सड़कों और 184 पुलों का निर्माण कार्य शेष है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अंतर्गत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए निरंतर सलाह दी जा रही है।

का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025

सिफारिश (क्रम सं.12)

2.3 समिति यह नोट करके चिंतित है कि पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत पात्र बसावटों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण वर्तमान में 2011 की जनगणना पर आधारित है, जिसमें जमीनी वास्तविकताओं की सही तस्वीर का अभाव है, जिसके कारण अपात्र बसावटों को प्राथमिकता मिलती है जबकि वास्तविक लाभार्थियों की अनदेखी की जाती है। पीएमजीएसवाई विषय की जांच और विचार-विमर्श के दौरान समिति को स्थानीय संसद सदस्यों की इस मांग से अवगत कराया गया था कि ग्रामीण संपर्क सड़क सुविधा प्रदान के लिए बसावट के

जनसंख्या मानदंड का उपयोग करने की बजाय ग्राम पंचायतों को संदर्भ बिन्दु/इकाई के रूप में चुना जाए। इस प्रावधान की संकल्पना किसी विशिष्ट ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी गाँवों को जोड़ने के संदर्भ में की जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी ग्राम पंचायतें चरणबद्ध रूप से कवर की जाएँ, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ सभी बसावटें/ गाँव स्वतः ही कवर हो जाएँगे। इसलिए, समिति, ग्रामीण विकास विभाग को सुझाव देती है कि वह कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए संदर्भ बिंदुओं/इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों को चुनने की व्यवहार्यता का पता लगाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक लाभार्थी योजना से वंचित न रहें और पात्र ग्रामीण परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। इस उद्देश्य के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु एक उचित तंत्र विकसित किया जाए।

सरकार का उत्तर

2.4 पीएमजीएसवाई के तहत संपर्कता की इकाई ग्राम पंचायत या गाँव से छोटी होती है; संपर्कता की इकाई बसावट होती है। पीएमजीएसवाई-IV का उद्देश्य मैदानी इलाकों में 500+, पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची-V क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, आकांक्षी ब्लॉक/ज़िले) में 250+ और 2011 की जनगणना के अनुसार, 9 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों (गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्र) में 100+ आबादी वाली लगभग 25,000 असंबद्ध बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है। पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत, किसी बसावट को जोड़ते समय, आस-पास के सरकारी शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों, बाज़ार और विकास केंद्रों को ग्रामीण जनता के लाभ के लिए, जहाँ तक संभव हो, बारहमासी सड़क से जोड़ा जाना चाहिए। बेहतर संपर्कता से शैक्षणिक, स्वास्थ्य, बाज़ार और विकास केंद्रों तक आवागमन आसान और तेज़ हो जाएगा।

दिसंबर 2024 में जारी पीएमजीएसवाई-IV दिशानिर्देश, पात्रता के लिए 2011 की जनगणना का हवाला देते हुए, इस बात की पुष्टि करते हैं कि सरकार इस कार्यक्रम के लिए बसावट को इकाई के रूप में उपयोग करना जारी रखेगी। सरकार ने 2024-25 और 2028-29 के बीच 25,000 असंबद्ध बसावटों को जोड़ने के लिए पीएमजीएसवाई-IV को मंज़ूरी दी है। यह बसावटों को उनकी जनसंख्या और जनसांख्यिकीय विशेषताओं, जैसे कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महत्वपूर्ण आबादी वाली बसावटों, के आधार पर प्राथमिकता देता है। दिशानिर्देशों में योजना बनाने के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल का उपयोग अनिवार्य किया गया है और सड़क संरेखण को अंतिम रूप देने के लिए "ट्रांजेक्ट वॉक" और ग्राम सभा बैठकों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को शामिल किया गया है। राज्य सरकारों को माननीय संसद सदस्यों, माननीय विधायकों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा पीएमजीएसवाई के तहत चल रहे और पूर्ण हो चुके कार्यों का संयुक्त निरीक्षण कराना आवश्यक है।

(का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025)

सिफारिश (क्रम सं. 13)

2.5 समिति इस तथ्य को स्वीकार करती है और उसकी सराहना करती है कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत एक सुव्यवस्थित निगरानी तंत्र विद्यमान है। इन साधनों में 41 ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस), परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस), नागरिक सूचना बोर्ड, राष्ट्रीय स्तरीय मॉनिटर (एनएलएम), क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें (आरआरएम) आदि शामिल हैं। 'मेरी सड़क' ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति काम की धीमी गति, अधूरे काम, खराब गुणवत्ता से संबंधित शिकायत रजिस्टर कर सकता है और सड़क निर्माण की वास्तविक समय पर तत्स्थानिक निगरानी सुनिश्चित कर सकता है। विभाग द्वारा गठित जिला विकास समन्वय

एवं निगरानी समितियाँ (दिशा) पीएमजीएसवाई - IV के संबंध में प्रगति की निगरानी करेंगी और सतर्कता बरतेंगी। समिति, पीएमजीएसवाई परियोजनाओं की निगरानी की सभी विद्यमान प्रणालियों पर उचित ध्यान देती है, लेकिन फिर भी इन निगरानी तंत्रों की प्रभावशीलता से संतुष्ट नहीं है। सदस्यों के तत्स्थानिक अनुभवों और समिति द्वारा अपने अध्ययन दौरों के दौरान प्राप्त जानकारी से, पीएमजीएसवाई परियोजनाओं में शामिल दोषी हितधारकों द्वारा निगरानी तंत्र की अनदेखी के चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। इतनी निगरानी व्यवस्थाओं के बावजूद, निर्माण गुणवत्ता और रखरखाव, दोनों ही दृष्टि से पीएमजीएसवाई सड़कों की खराब स्थिति देखी जा सकती है। यह स्पष्ट है कि निगरानी और कड़ी किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग रचनात्मक और नवीन समाधान अपनाए, जैसे प्रत्येक छह महीने में सड़कों के वास्तविक समय के वीडियो अपलोड करना, विशेष रूप से संबंधित संसद सदस्यों व अन्य के साथ, दोष दायित्व अवधि के दौरान औचक निरीक्षणों में वृद्धि, जैसे उपाय प्राथमिकता के आधार पर करना। योजना के समुचित कार्यान्वयन हेतु अधिक दक्षता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता लाने हेतु ईमानदारी से प्रयास किए जाएं।

सरकार का उत्तर

2.6 संपूर्ण कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन में अधिक दक्षता, उत्तरदेही और पारदर्शिता लाने के लिए, पीएमजीएसवाई के लिए एक आधुनिक वेब-आधारित ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) स्थापित की गई है। सभी स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी ओएमएमएएस के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक और वित्तीय प्रगति राज्यों को दिए गए समग्र लक्ष्यों के अनुरूप हो। ओएमएमएएस पर अपलोड की गई सभी सड़कों की प्रगति की निगरानी वास्तविक समय के आधार पर जियो-टेक तस्वीरों के प्रावधान के साथ की जाती है। इसके अलावा, पीएमजीएसवाई-III के तहत स्वीकृत प्रत्येक सड़क की निर्माण गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) विकसित की गई है। सड़क निर्माण के दौरान पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, पीएमजीएसवाई कार्यों के निष्पादन हेतु ठेकेदार/पीआईयू द्वारा तैनात सभी वाहनों/मशीनों/उपकरणों पर

ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) सक्षम वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे एक निश्चित अवधि के लिए इन मशीनरी/उपकरणों के उचित संचालन का आकलन करने में मदद मिलती है, जो निर्माणाधीन सड़कों की निर्दिष्ट गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा, दोष दायित्व अवधि के दौरान सड़कों के रखरखाव पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने और पीएमजीएसवाई सड़कों के नियमित रखरखाव को सुव्यवस्थित करने के उपाय के रूप में, ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रिक रखरखाव (ई-मार्ग) शुरू किया गया है, जिसकी संकल्पना निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंधों (पीबीएमसी) पर आधारित है। ठेकेदार को भुगतान अब ई-मार्ग के माध्यम से किया जाता है, जो सड़क की न्यूनतम स्थिति, उसके क्रॉस-ड्रेनेज कार्यों और यातायात परिसंपत्तियों पर आधारित होता है। भुगतान इस बात पर आधारित होता है कि ठेकेदार अनुबंध में परिभाषित निष्पादन मानकों या सेवा स्तरों का कितनी अच्छी तरह पालन करता है, न कि टुकड़ों में किए गए काम पर।

पीएमजीएसवाई के तहत सड़कें राज्य सरकारों द्वारा कम से कम 10 वर्षों की डिज़ाइन अवधि के साथ बनाई जाती हैं। पीएमजीएसवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत निर्मित सड़कों का रखरखाव राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है। मानक बोली दस्तावेज़ के अनुसार, पीएमजीएसवाई के सभी सड़क कार्यों के लिए, निर्माण अनुबंध के साथ ही, उसी ठेकेदार के साथ, प्रारंभिक पाँच वर्षीय रखरखाव अनुबंध किए जाने चाहिए। अनुबंध की पूर्ति हेतु रखरखाव निधि का बजट राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और उसे राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के पास एक अलग रखरखाव खाते में रखा जाना चाहिए। निर्माण के बाद के इस पाँच वर्षीय रखरखाव अनुबंध की समाप्ति पर, पीएमजीएसवाई सड़कों को क्षेत्रीय रखरखाव अनुबंधों के अंतर्गत रखा जाना आवश्यक है, जिसमें समय-समय पर चक्र के अनुसार नवीनीकरण सहित पाँच वर्षीय रखरखाव शामिल है।

(का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025)

अध्याय तीन

सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है

शून्य

(का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025)

अध्याय चार

सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं

सिफारिश (क्रम सं. 1)

4.1 समिति का मानना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु परियोजनाएँ प्राप्त करने हेतु निविदाओं के माध्यम से बोली लगाना इस योजना का एक अभिन्न अंग है और जिन ठेकेदारों को निविदाओं के माध्यम से निर्माण हेतु ठेके दिए जाते हैं, संभवतः वे ही अपने कार्यकलापों के माध्यम से अक्सर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। समिति इस बात पर चिंता व्यक्त करती है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के निर्माण के अधिकार प्राप्त करने हेतु बोली जीतने के लिए, ठेकेदार अक्सर न्यूनतम बोली राशि से 25-30% कम राशि की बोली लगाते हैं। समिति के सदस्य अक्सर ठेकेदारों द्वारा कम बोली लगाने की तथाकथित प्रथा से संबंधित मुद्दे को विचार-विमर्श के दौरान उठाते रहे हैं। अतः, समिति, ग्रामीण विकास विभाग को कम बोली लगाने की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए सभी उपाय करने की सिफारिश करती है और कम से कम एक ऐसी व्यवस्था/ प्रावधान तैयार करने की सिफारिश करती है जिसके तहत बोली और वास्तविक बोली के बीच के अंतर की समतुल्य राशि को प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाए और इसे तभी जारी किया जाए जब यह सुनिश्चित हो जाए कि निर्मित सड़क निर्धारित गुणवता मानदंडों को पूरा करती है। इसलिए, एक ऐसी निष्पक्ष बोली व्यवस्था की आवश्यकता है ताकि एक न्यायसंगत और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके जहाँ बोलीदाता बिना किसी हेरफेर या अनुचित लाभ के संविदा या अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें। समिति, यह भी सिफारिश करती है कि सरकार ठेकेदारों द्वारा न्यूनतम बोली राशि से कम राशि की बोली लगाने से सड़क की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन करे।

सरकार का उत्तर

4.2 पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित की जा रही सड़कों की गुणवत्ता के हित में और असामान्य रूप से कम बोलियों (एएलबी) से सुरक्षा के लिए, एसबीडी में ठेकेदार से अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति लेने का प्रावधान किया गया है। सभी राज्यों को एसबीडी प्रावधानों के अनुसार एएलबी के मामलों को निपटाने की सलाह दी गई है, जो निम्नानुसार हैं:

(क) बोलीदाता की योग्यता:

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यों के लिए बोली लगाने वाले ठेकेदारों के पास अच्छी गुणवत्ता वाले कार्यों के निष्पादन में पर्याप्त पृष्ठभूमि है, एसबीडी के खंड 4 में निम्नलिखित योग्यता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:-

(क) ठेकेदार को पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष निष्पादित सिविल निर्माण परियोजनाओं का कुल मौद्रिक मूल्य प्रदान करना होगा।

(ख) पिछले पाँच वर्षों में समान प्रकृति और पैमाने वाली परियोजनाओं में अपनी भागीदारी का रिकॉर्ड प्रस्तुत करना। इसके अतिरिक्त, चल रही या अनुबंधित परियोजनाओं का विवरण, किसी संबंधित प्राधिकारी से अनुमोदन सहित, जो किसी कार्यकारी अभियंता या उसके समकक्ष पद से कम न हो, प्रस्तुत करना।

(ग) परियोजना में नियोजित किये जाने वाले तकनीकी कार्मिकों के संबंध में व्यापक जानकारी प्रस्तुत करना।

(घ) पुष्टि करना कि अनुबंध निर्माण के लिए आईटीबी के खंड 4.4 बी (बी) (ii) में निर्दिष्ट योग्यताओं के अनुरूप है।

(ड.) निर्माण गतिविधियों के लिए एक प्रस्तावित प्रस्ताव और एक गुणवत्ता प्रबंधन योजना प्रस्तुत करना जिसमें तकनीकी विनिर्देशों और निर्धारित समापन अवधि के अनुपालन में परियोजना के पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा की रूपरेखा हो।

(ख) अतिरिक्त बैंक गारंटी:

एसबीडी के खंड 46, उप-खंड 46.1 और 46.2 के अनुसार, अनुबंध मूल्य के 5% (पांच प्रतिशत) के बराबर निष्पादन प्रतिभूति और असंतुलित बोलियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा नियोक्ता को प्रदान की जाएगी।

(ग) कालीसूची में डालना/अनुबंध की समाप्ति

खंड 52, उप-खंड 52.1 और 52.2 के अनुसार, यदि ठेकेदार गुणवत्ता और अन्य संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में अनुबंध का बड़ा उल्लंघन करता है, जैसे कि निर्दिष्ट दोष को तुरंत ठीक करने में विफलता, आवश्यक सुरक्षा का रखरखाव न करना, स्वीकार्य परिसमाप्त क्षति अवधि से परे परियोजना को पूरा करने में देरी

करना और समय पर काम का एक निर्दिष्ट हिस्सा पूरा न करना, तो नियोक्ता अनुबंध को समाप्त कर सकता है।.

यह ध्यान देने योग्य है कि एसबीडी में पहले से ही सख्त प्रावधान हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएमजीएसवाई कार्यों के निष्पादन के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले ठेकेदारों को नियुक्त किया जाए; हालाँकि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बोलियों की तकनीकी जाँच के दौरान सख्त तकनीकी मूल्यांकन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

जैसा कि सुझाव दिया गया है, पीएमजीएसवाई सड़कों पर असामान्य रूप से कम बोलियों के मामले की जांच के लिए एक समिति भी गठित की जा रही है।

(का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर,2025)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.8 देखें)

सिफारिश (क्रम सं. 2)

4.3 समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता एक गंभीर मुद्दा है जो पूरे देश को प्रभावित कर रहा है और ग्रामीण लोगों के जीवन पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। सड़कों के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण सड़कें देश की समृद्धि के लिए कई तरह से सहायक होती हैं। यह योजना सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी लक्ष्यों को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी और वर्षों से यह ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाओं में से एक रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें समिति का ध्यान निर्माण के निर्धारित मानदंडों और मानकों का अनुपालन न करने और कई स्थानों पर सड़कों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की खराब गुणवत्ता की ओर आकर्षित किया गया है, जो मौसम के प्रभाव और अधिक यातायात को एक मौसम भी सहन नहीं कर पातीं है और मानसून के आगमन के साथ ही खराब हो जाती हैं। अत:, समिति ग्रामीण विकास विभाग से आग्रह करती है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए कि पीएमजीएसवाई के प्रावधानों के तहत निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों से बिल्कुल भी

समझौता न किया जाए ताकि निर्मित सड़कें टिकाउ हों और ग्रामीण बसावटों बारहमासी सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए योजना का लक्ष्य यथाशीघ्र प्राप्त हो सके, क्योंकि यह देश की संपूर्ण ग्रामीण प्रगति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

सरकार का उत्तर

4.4 निर्माण के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को मजबूत करने के लिए, पीएमजीएसवाई के तहत स्टेज-पासिंग की एक प्रणाली अनिवार्य की गई है। इस नई प्रणाली के तहत, संबंधित पीआईयू प्रमुख निर्माण के निर्धारित चरणों में सड़क के प्रत्येक खंड पर गुणवत्ता प्रमाणित करेगा। पीआईयू जो बिल पास करने और ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके द्वारा अब जमीनी स्तर पर काम का निरीक्षण करना, गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण करना और काम की गुणवत्ता को प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। संबंधित पीआईयू द्वारा प्रदान की गई गुणवत्ता ग्रेडिंग का सार और पीआईयू द्वारा लिए गए कार्यों की उनके जियो-टैग फोटोग्राफ सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, पीआईयू प्रमुख द्वारा दर्ज किए गए कार्यों की जियो-टैग फोटोग्राफ के साथ गुणवत्ता ग्रेडिंग का सार सार्वजनिक डोमेन पर रखा जाएगा। यह उपाय 15 अगस्त 2025 से पीएमजीएसवाई-।।।, पीएमजीएसवाई-जनमन, पीएमजीएसवाई-वीवीपी के तहत सभी जारी और हाल ही में पूरी हुई परियोजनाओं के संबंध में लागू किया गया था और यह पीएमजीएसवाई-IV सभी परियोजनाओं के संबंध में भी लागू होगा। स्टेज-पासिंग की शुरूआत से उत्तरदेही आने, निर्धारित मानदंडों का सख्त अनुपालन होने तथा पीएमजीएसवाई के तहत परियोजनाओं की समग्र गुणवत्ता और स्थायित्व में सुधार होने की आशा है।

(का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.11 देखें)

सिफारिश (क्रम सं. 3)

4.5 समिति ने पाया कि पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों की सामान्य डिज़ाइन अवधि 10 वर्ष है और कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) (प्रारंभिक 5 वर्ष) के दौरान सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है, जबकि डीएलपी के बाद (अगले 5 वर्ष) संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है और इसके

लिए निधि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। समिति यह नोट कर चिंता व्यक्त करती है कि दिशानिर्देशों का गंभीरता से अनुपालन नहीं किया जा रहा है और विभिन्न स्थानों पर पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों का उचित रखरखाव नहीं हो रहा है और वे 5 साल की वारंटी से पहले ही खराब होने लगती हैं। पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव के लिए विस्तृत रूप से निर्धारित नियमों की निगरानी प्रणाली भी चिंता का विषय बनी हुई है। समिति नोट करती है कि इस मुद्दे का सख्त विनियमन और ठेकेदारों द्वारा इसका समान रूप से अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, समिति ग्रामीण विकास विभाग को यह सुनिश्चित करने की पुरजोर सिफारिश करती है कि ठेकेदारों द्वारा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के उपरांत रखरखाव संबंधी दिशानिर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाए ताकि सड़कें प्रारंभिक चरण में खराब न हों, बल्कि लंबे समय तक संपर्क बनाए रखने के प्रयोजन को पूरा कर सकें। दोषी ठेकेदारों को भी सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और उन्हें काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डालने के लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। समिति ग्रामीण विकास विभाग को यह भी सिफ़ारिश करती है कि निर्माण के बाद पीएमजीएसवाई सड़कों के उचित रखरखाव के लिए निगरानी के संबंध में नोडल एजेंसियों के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित किया जाए। योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को पूरी ईमानदारी से तैयार किया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

4.6 दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) के दौरान सड़कों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने और पीएमजीएसवाई सड़कों के नियमित रखरखाव को सुव्यवस्थित करने के एक उपाय के रूप में, ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ई-मार्ग) की शुरूआत इन समस्याओं के सरल लेकिन बेहद प्रभावी समाधान के रूप में की गई थी। प्रदर्शन आधारित रखरखाव संविदा (पीबीएमसी) के संबंध में परिकल्पित, ई-मार्ग ने एक ब्लू-प्रिंट तैयार किया है कि कैसे स्मार्ट सूचना प्रौद्योगिकी और संविदा प्रबंधन के साथ सरकारी विभागों में बुनियादी ढांचे के रखरखाव की समस्या का किस प्रकार समाधान किया जा सकता है। पीबीएमसी एक प्रकार की संविदा है जिसमें ठेकेदार को सड़क की सामान्य स्थिति, उसके क्रॉस -ड्रेनेज कार्यों और यातायात परिसंपत्तियों के आधार पर भुगतान किया जाता है, जिन्हें उसे पूरा करना होता है। भुगतान इस बात पर आधारित होते हैं कि ठेकेदार संविदा में परिभाषित प्रदर्शन मानकों या सेवा स्तरों का पालन करने में किस स्तर तक सफल होता है।

पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव की ऑनलाइन निगरानी के लिए निर्माण के बाद पाँच वर्षों के लिए ई-मार्ग लागू किया गया है। राज्यों के साथ समीक्षा बैठकों, पूर्व-अधिकार प्राप्त समिति और अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की बैठकों के दौरान ई-मार्ग के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी की जा रही है और सड़कों के खराब रखरखाव की स्थिति में 5 वर्ष की दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) का विस्तार अनिवार्य कर दिया गया है। 5 वर्ष की अवधि के बाद, अर्थात डीएलपी के बाद 5 वर्ष, अर्थात कुल 10 वर्षों के लिए, ई-मार्ग मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसका सभी राज्यों को पालन करना होगा। इससे निर्माण के बाद रखरखाव का सख्त अनुपालन सुनिश्चित होगा।

ग्रामीण सड़कों का रखरखाव संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि, मंत्रालय दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) के तहत सड़कों के खराब रखरखाव की शिकायतों से संबंधित मुद्दे पर विचार कर रहा है। एनआरआईडीए माननीय संसद सदस्यों और अन्य एजेंसियों से विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होने पर ऐसी सड़कों का निरीक्षण करने के लिए एनक्यूएम दलों को तैनात करता है। जांच रिपोर्ट के आधार पर, राज्यों को संबंधित ठेकेदार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा, ईएमएआरजी के कार्यान्वयन के बाद, जो मुख्य रूप से प्रदर्शन आधारित रखरखाव अनुबंध है, एनआरआईडीए के लिए ऐसी सभी सड़कों की दृश्य निगरानी करना संभव हो गया है। यदि कोई सड़क वांछित ग्रेडिंग प्राप्त करने में विफल रहती है, तो रखरखाव भुगतान जारी नहीं किया जाता है। इसके अलावा, ऐसी सड़कों की डीएलपी अवधि भी उस अवधि के लिए बढ़ा दी जाती है जिसके लिए सड़क वांछित ग्रेडिंग प्राप्त करने में विफल रही है। अतः मंत्रालय बेहतर सड़क

रखखाव सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने के उपायों को ढूढने का प्रयास करता रहा है।

(का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.14 देखें)

सिफारिश (क्रम सं. 4)

4.7 समिति नोट करती है कि बसावटों को सड़कों से जोड़ने के संबंध में ग्रामीण संपर्क परियोजनाओं से जुड़ा एक मुद्दा यह सामने आया कि सड़कें वास्तविक बसावटों, जहाँ अधिकांश लोग रहते हैं तक पहुँचने के बजाय गाँवों के बाहरी इलाके या परिधि तक ही पहुँचती हैं। इससे बसावटों को जोड़ने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है और कई जरूरतमंद बसावटों, विशेष रूप से देसम, ढाणियाँ, टोले, मजरे, हैमलेट आदि, ज्यादातर गाँव की परिधि से कम से कम 2-3 किलोमीटर अंदर स्थित हैं और इस प्रकार, उन्हें सड़क संपर्क का लाभ नहीं मिल रहा है। अतः, समिति इस जमीनी हकीकत को देखते हुए, ग्रामीण विकास विभाग को सड़क संपर्क नीति की व्यापक समीक्षा करने और ऐसे साधन सृजित करने की सिफारिश करती है जिससे पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कें वास्तव में संपर्कविहिन बसावटों तक पहुँचें ताकि देश के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाली ग्रामीण आबादी को बिना किसी समझौते के बारहमासी सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल किया जा सके और देश में ग्रामीण आबादी सामाजिक-आर्थिक प्रगति कर सके।

सरकार का उत्तर

4.8 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से, जनगणना 2001 के अनुसार, लगभग 99.6% पात्र बसावटों को बारहमासी संपर्कता प्रदान की गई है। बसावटों का उद्भव एक गतिशील प्रक्रिया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कई नई बसावटें बनी हैं जो अभी तक संपर्कता से वंचित हैं। बुनियादी सेवाओं की संतृप्ति और ग्रामीण सड़कों सहित

बुनियादी ढाँचे तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार, इन बसावटों को संपर्कता प्रदान करना अनिवार्य है।

देश की दूरस्थ संपर्कविहीन बसावटों तक संपर्कता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने पीएमजीएसवाई के चरण-IV के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इस पहल के तहत, लगभग 25,000 ग्रामीण बसावटों को बारहमासी संपर्कता प्रदान की जाएगी, जो अपनी जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए पात्र बन गई हैं। बसावटों को जोड़ते समय, राज्यों ने यह सुनिश्चित किया है कि पीएमजीएसवाई IV सड़क का संरेखण बसावटों से होकर गुज़रे और ग्रामीण जनता के लाभ के लिए आस-पास की महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिता/सेवाओं को यथासंभव इस सड़क से जोड़ा जाए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे पीएमजीएसवाई ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से विस्तृत सर्वेक्षण के बाद पात्र बसावटों की पहचान करें, जिसकी योजना जियो-सड़क और पीएम-गति शक्ति की सहायता से बनाई जाए।

ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के सड़क संपर्क घटक को भी क्रियान्वित कर रहा है। पीएम-जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के चिन्हित गाँवों को संपर्कता प्रदान की जा रही है। पीएमजीएसवाई-IV और पीएम-जनमन तथा सड़क संपर्क घटक कई संपर्क रहित बसावटों तक संपर्कता सुनिश्चित करेंगे।

(का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.17 देखें**)**

सिफारिश (क्रम सं. 5)

4.9 समिति नोट करती है कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कों की मोटाई 20 मि.मी. है। आधुनिकीकरण के इस युग में, जब दूर-दराज के क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों और राजमार्गों व पुलों के निर्माण कार्यों के कारण अक्सर भारी वाहनों, विशेष रूप से एनएचएआई पर चलने वाले वाहनों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है जिससे ग्रामीण सड़कों की अपूर्णीय क्षति होती क्योंकि

इन सड़कों पर आमतौर पर यातायात कम होता है और इन्हें भारी वाहनों की आवाजाही के लिए नहीं बनाया जाता है। अतः, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत मौजूदा सड़कों को क्षति पहुँचाने वाले एनएचएआई वाहनों से बचाना और उनकी मरम्मत करना तथा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों की मोटाई को 30 मि.मी. तक बढ़ाना अनिवार्य है ताकि वे भारी वाहनों का भार वहन कर सकें जो भविष्य में भी उन पर से गुजरते रहेंगे। अतः, गांव की आबादी के आधार पर यातायात भार को ध्यान में रखते हुए, समिति ग्रामीण विकास विभाग से यह पुरजोर सिफारिश करती है कि वह एनएचएआई के साथ तत्काल सार्थक संवाद करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनएचएआई द्वारा पीएमजीएसवाई के प्रावधानों के अनुरूप क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की जाए और साथ ही ग्रामीण विकास विभाग से यह भी आग्रह करती है कि पीएमजीएसवाई के प्रावधानों में यथाशीघ्र समुचित संशोधन करके पीएमजीएसवाई सड़क की मौजूदा मोटाई को 20 मि.मी. से बढ़ाकर 30 मि.मी. कर दिया जाए ताकि वे भारी वाहनों के गुजरने से और अधिक क्षतिग्रस्त न हों।

सरकार का उत्तर

4.10 पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, फुटपाथ की डिज़ाइनिंग के लिए डिज़ाइन लोड (समतुल्य मानक एक्सल लोड) की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, हालाँकि 5 एमएसए (मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल) के लिए आवश्यक डिज़ाइन किए गए क्रस्ट के अतिरिक्त फुटपाथ संरचना की अतिरिक्त लागत पूरी तरह से राज्य द्वारा वहन की जानी है। यदि एनएचएआई की सड़कों पर चलने वाले भारी वाहनों को पीएमजीएसवाई सड़कों का उपयोग करना है, तो राज्यों को अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से अवगत कराया जाता है कि यातायात के अनुमान के लिए उचित विश्लेषण किया जाना चाहिए और फुटपाथ का डिज़ाइन अनुमानित यातायात के आधार पर किया जाना चाहिए।

ग्रामीण सड़कों को 10 साल की डिजाइन लाइफ के लिए डिज़ाइन किया गया है और फुटपाथ की परत को डिजाइन करते समय भविष्य के यातायात की वार्षिक वृद्धि दर को भी ध्यान में रखा जाता है। पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कें ग्रामीण सड़कों को डिजाइन करने के लिए आईआरसी विशेष रूप से आईआरसी एसपी 72:2015 के विनिर्देशों का पालन करती हैं, आईआरसी एसपी 72:2015 डिजाइन यातायात को 2 एमएसए तक सीमित करता है। मानक धुरी (सिंगल एक्सल, डुअल व्हील) द्वारा वहन किया जाने वाला भार 8.16 टन

और टेंडम एक्सल 14.9 टन है। पूरी तरह से भरे हुए भारी वाणिज्यिक वाहन (एचसीवी) का पिछला धुरी भार 10.2 टन और आगे की धुरी का भार पिछले धुरी भार का आधा यानी 5 टन होता है और यदि ओवरलोड वाहन मौजूद हैं तो 20% ओवरलोडिंग पर विचार किया जाता है। इससे ज्यादा के भार को इस डिजाइन के तहत विचार नहीं किया जाता है।

आईआरसी एसपी 72:2015 के अनुसार, उच्च यातायात के लिए अनुशंसित सतही सतह 20 मि.मी. ओजीपीसी है। सतही सतह (परत) लचीले फुटपाथ की ऊपरी परत होती है और एक अच्छी सड़क का चिकना टिकाऊ, घर्षण-रोधी गुण प्रदान करती है, साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए पर्याप्त घर्षण बनाए रखती है। यह आमतौर पर बिटुमेन-बाउंड एग्रीगेट - डामर कंक्रीट से बनाई जाती है। यह जलरोधी होगी और फुटपाथ की निचली परतों में पानी के प्रवेश को रोकेगी, जिससे उनकी मजबूती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ये परतें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि यातायात के दबाव में उखड़ न जाएँ।

चूंकि मुख्य भार वहन करने वाली परतें बाइंडर कोर्स, बेस कोर्स और सब बेस कोर्स हैं, इसलिए इन परतों की मोटाई फुटपाथ पर भारी वाहनों के चलने पर उत्पन्न होने वाली परेशानियों के लिए अधिक निर्णायक कारक होती है।

एनएचएआई की सड़कों से आने वाले भारी वाहनों द्वारा पीएमजीएसवाई सड़कों को होने वाले नुकसान का मुद्दा सबसे पहले सचिव द्वारा दिनांक 08.08.2023 के अ.शा.पत्र और फिर मंत्री (ग्रामीण विकास) द्वारा दिनांक 27.09.2023 के अ.शा.पत्र के माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है। अ.शा. पत्रों की प्रतियाँ संलग्न हैं।

(का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.20 देखें**)**

सिफारिश (क्रम सं. 6)

4.11 ग्रामीण सड़कें शरीर की धमनियों के समान हैं जो देश के वृहत क्षेत्र के आंतरिक इलाकों को समाज में हो रहे विकास से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को ऐसी बसावटों, जहां सड़क संपर्क नहीं है, को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिससे ग्रामीण अवसंरचना और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। तथापि, यह पाया गया कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बड़ी संख्या में

परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जाता है, जिससे इन क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण में विलंब होता है और इनका सामाजिक-आर्थिक विकास प्रभावित होता है। ऐसे विलंब के परिणामस्वरूप विशेष रूप से कच्चे माल और श्रम घटक की लागत में वृद्धि होती है । समिति, विभाग के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श और अध्ययन दौरों के दौरान देखी गई जमीनी हकीकत के माध्यम से यह पाती है कि ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें ठेकेदार ने भूमि संबंधी मंजूरी न मिलने और निधियों को जारी न किए जाने जैसे विभिन्न लॉजिस्टिकल मुद्दों के मद्देनजर परियोजना में हुए विलंब के कारण निर्माण की बढ़ती लागत के दृष्टिगत परियोजना को बीच में ही अथवा शुरू होने के तुरंत बाद छोड़ दिया। इन बाधाओं के कारण सड़क निर्माण परियोजनाओं के यथासमय पूरा होने में अवरोध उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण वंचित ग्रामीण आबादी प्रभावित हुई है जो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पूर्णतः बेहतर सड़क संपर्क पर निर्भर है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में समिति यह पुरजोर सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधियों को यथासमय जारी करने के लिए राज्य सरकारों के साथ प्रभावी समन्वय, अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने तथा अन्य मंत्रालयों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने जैसे पर्याप्त उपाय करके लंबित परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। अतः, समिति इस बात पर बल देती है कि ग्रामीण विकास विभाग के लिए यह अनिवार्य है कि वह प्राथमिकता आधार पर इन मुद्दों का समाधान करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएमजीएसवाई परियोजनाओं को बिना किसी लागत वृद्धि के निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा किया जाए। योजना के अंतर्गत सभी स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन की इस प्रयोजनार्थ विकसित मौजूदा तंत्र के माध्यम से गहन निगरानी की जानी चाहिए।

सरकार का उत्तर

4.12 कार्यक्रम को पारदर्शी बनाने और नियोजन/कार्यान्वयन के संदर्भ में कार्यक्रम की निगरानी हेतु सुगम पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, ऑनलाइन निगरानी, प्रबंधन एवं लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) नामक एक वेब-आधारित कार्यक्रम निगरानी सूचना प्रणाली विकसित की गई है। सभी स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी वास्तविक समय के आधार पर ओएमएमएएस के माध्यम से की जाती है। ओएमएमएएस से संबंधित आँकड़े सार्वजनिक डोमेन में भी उपलब्ध हैं।

मंत्रालय राज्यों के साथ विभिन्न स्तरों पर इस मुद्दे की निगरानी कर रहा है। एसएनए स्पर्श की शुरुआत से राज्य अंश के समय पर जारी होने में सुधार की उम्मीद है।मंत्रालय राज्यों के साथ विभिन्न स्तरों पर इस मुद्दे की निगरानी कर रहा है। एसएनए स्पर्श की शुरुआत से राज्य अंश के समय पर जारी होने में सुधार की उम्मीद है। राज्यों को आगे निधियां जारी करने के लिए पात्र होने हेतु कार्यक्रम दिशानिर्देशों और वित्त मंत्रालय की अन्य शर्तों का पालन करना होगा। इन मुद्दों को शीघ्र समाधान के लिए राज्यों के साथ नियमित रूप से उठाया जाता है।

जहां तक कच्चे माल और श्रम घटक की लागत में वृद्धि का संबंध है, यह उल्लेख किया गया है कि एक बार परियोजना स्वीकृत हो जाने के बाद, योजना के अंतर्गत समय की अधिकता के कारण लागत वृद्धि के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। दिशानिर्देशों में सड़कों/पुलों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए समय-सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है और राज्यों को भी इसका पालन करना होगा, क्योंकि पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय-सीमा निश्चित होती है। यदि कार्य में ज्यादा समय लगने के कारण लागत बढ़ जाती है, तो राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे अतिरिक्त लागत को वहन करें, जो समय और लागत में वृद्धि के प्रति अवरोधक का काम करती है।

(का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.23 देखें)

सिफारिश (क्रम सं. 7)

4.13 समिति का यह मत है कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और ग्रामीण सड़क संपर्क को समग्र रूप से और बेहतर करने तथा बेहतर विचारों को शामिल करने की सदैव गुंजाइश रहती है। ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय है और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत

सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने और उनके रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है, जो इस योजना के कार्यान्वयन प्राधिकरण हैं। इस योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कें पीएमजीएसवाई के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होती हैं। समिति को अपने अध्ययन दौरे के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सड़क निर्माण के लिए भूमि / स्थान की अनुपलब्धता और इसकी चौड़ाई कम होने के संबंध में जानकारी दी गई थी।

अतः, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समिति ग्रामीण विकास विभाग से यह आग्रह करती है कि पीएमजीएसवाई के प्रावधानों और दिशा-निर्देशों में संशोधन करके सड़क निर्माण मानदंडों में छूट दी जाए ताकि राज्य सरकारों को उनकी स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों और परिवहन आवश्यकताओं के आधार पर सड़क को अपने अनुरूप चौड़ा करने और मानदंडों को तैयार करने की छूट मिल सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि 100 किलोमीटर की अतिरिक्त सड़कों के निर्माण का आबंटन संसद के स्थानीय प्रतिनिधि की अनुशंसा के आधार पर किया जाए और इसके लिए निधि का आबंटन भारत की संचित निधि से किया जाए।

सरकार का उत्तर

4.14 पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण सड़कों के विनिर्देशों, भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के ग्रामीण सड़क संहिता (आईआरसी: एसपी:20),आईआरसी:एसपी:72 और जहां आवश्यक हो, पहाड़ी सड़क संहिता (आईआरसी: एसपी:48) और अन्य आईआरसी कोड/दिशानिर्देशों में दिए गए तकनीकी विनिर्देशों और ज्यामितीय डिजाइन मानकों के अनुसार किया जाता है।

(का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.26 देखें)

सिफारिश (क्रम सं. 8)

4.15 सड़कों के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण सड़कें घरेलू व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर प्रदान करने और अंततः जनता की बेहतर आजीविका सुनिश्चित करने संबंधी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के माध्यम से आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के संदर्भ में देश की समृद्धि में अनेक माध्यमों से अपना योगदान देती हैं। यह योजना सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणोन्मुखी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी और वर्षों से प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं में से एक रही है। परंतु समिति इस तथ्य को नोट करते हुए चिंता व्यक्त करती है कि यह योजना निर्माण-पश्चात और राज्यों को सौंपे जाने के पश्चात खराब रखरखाव के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित है। ग्रामीण कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण का पूरा प्रयास अपर्याप्त रखरखाव के कारण बाधित हो जाता है। समिति विभिन्न पक्षों से और अध्ययन दौरों के दौरान अपने स्वयं के अनुभवों के माध्यम से व्यक्त किए गए सरोकारों को नोट करती है कि विभिन्न स्थानों पर पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों का उचित रखरखाव नहीं किया जाता है और वे शुरुआत में ही खराब होने लगती हैं। समिति यह भी नोट करती है कि यद्यपि दिशा-निर्देशों के अंतर्गत रखरखाव से संबंधित प्रावधान हैं, फिर भी उनका समुचित अनुपालन नहीं हो पा रहा है और इस संबंध में कोई उत्तरदेही भी निश्चित नहीं है। ऐसी महत्वपूर्ण योजना के कार्यान्वयन में ईमानदारी और पारदर्शिता का अभाव प्रतीत होता है। यद्यपि व्यापक निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है, फिर भी पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों का रखरखाव एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।

यह भी देखा गया है कि ठेकेदार अपनी देखरेख में निर्धारित अवधि के पश्चात क्षतिग्रस्त सड़कों पर केवल नाममात्र की मरम्मत करके सड़कों को सौंप देते हैं। अतः, समिति का यह दृढ़ मत है कि कार्यस्थल निरीक्षण के माध्यम से तथा जियो-टैगिंग और

मोबाइल एप्लिकेशन जैसी वर्चुअल तकनीकों का उपयोग करके आवधिक आधार पर निर्माण पश्चात भी सड़कों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़कों पर ध्यान दिया जा सके और उनका रखरखाव भालिभांति किया जा सके।

अतः, समिति ग्रामीण विकास विभाग से यह सिफारिश करती है कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के आवधिक और अनिवार्य वास्तविक निरीक्षण के लिए विशिष्ट दलों का गठन किया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि ऐसी सड़कों की पहचान की जाए जिनपर पहले से ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जो जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं तथा या तो विशिष्ट पहल के माध्यम से इनकी मरम्मत की जाए अथवा बेहतर ग्रामीण कनेक्टिविटी और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नए पीएमजीएसवाई आबंटन के अंतर्गत शामिल किया जाए।

सरकार का उत्तर

4.16 यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्माण के बाद अपर्याप्त रखरखाव के कारण पीएमजीएसवाई के उद्देश्य प्रभावित न हों, मंत्रालय ने गुणवत्ता निगरानी की एक बहु-स्तरीय प्रणाली बनाई है, जिसके तहत परियोजनाओं का समय-समय पर भौतिक निरीक्षण किया जाता है। संबंधित परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) के तकनीकी कर्मचारी आवधिक और अनिवार्य निरीक्षण करते हैं, जिसमें तकनीकी कर्मचारी कार्य का कार्यस्थल पर जाकर निरीक्षण करते हैं, निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण करते हैं, तथा प्रत्येक परियोजना के लिए बनाए गए गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टर में परिणामों को दर्ज करते हैं। इसके अतिरिक्त, स्टेज-पासिंग प्रणाली, पीआईयू प्रमुख को बिल पास करने और भुगतान करने से पहले निर्माण के प्रत्येक निर्धारित चरण पर कार्य की गुणवत्ता को प्रमाणित करने का भी आदेश देती है। इसके अलावा, राज्यों ने सेवानिवृत्त इंजीनियरों को राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) के रूप में पैनलबद्ध किया है, जो अपने-अपने राज्यों में निर्माण के निर्धारित चरण में प्रत्येक कार्य का निरीक्षण करते हैं। पारदर्शिता और उत्तरदेही सुनिश्चित करने के लिए कार्यों का निरीक्षण गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (क्यूएमएस) एप्लीकेशन के माध्यम से जियो-टैग्ड फोटोग्राफ के साथ किया जाता है।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के एनआरआईडीए द्वारा पैनलबद्ध राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एनक्यूएम) गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के प्रणालीगत मुद्दों को सामने

लाने के लिए विभिन्न राज्यों में यादृच्छिक नमूना आधार पर क्षेत्रीय निरीक्षण करते हैं। यह त्रिस्तरीय तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि गुणवत्ता की जांच न केवल निर्माण चरण में की जाए, बल्कि 5 वर्षों की रखरखाव अवधि के दौरान भी इसका निरंतर मूल्यांकन किया जाए, जिससे खराब रखरखाव की समस्या का समाधान हो और पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों का दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित हो।

रखरखाव व्यवस्था में सड़क की दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) और डीएलपी के बाद के चरण के दौरान, क्षेत्र स्तर के इंजीनियरों द्वारा द्विमासिक नियमित निरीक्षण और कार्य निष्पादन मूल्यांकन की एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रणाली ईमार्ग के तहत बनाई गई है। राज्यों से नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि नियमित निरीक्षण समय पर किए जाएं तथा विनिर्देशों के अनुसार रखरखाव किया जाए।

(का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.29 देखें)

सिफारिश (क्रम सं. 9)

4.17 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत पीएमजीएसवाई - IV नाम से एक नया घटक जोड़ा गया हैं जिसका उद्देश्य 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 + आबादी और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची -V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्रों) में 250 + आबादी और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100 + आबादी वाली बसावटों, जहाँ सड़कों की सुविधा नहीं हैं, वहां पर बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 70,125 करोड़ रुपये (केंद्रीय अंश: 49,087.50 करोड़ रुपये, राज्य अंश: 21,037.50 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय के साथ 25,000 बसावटों को सड़क सम्पर्क प्रदान करने के लक्ष्य के साथ लागू की जाएगी। यह प्रस्तावित है कि इन सड़क सम्पर्क रहित बसावटों के लिए 62,500 किलोमीटर की बारहमासी सड़को की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इन सड़कों के संरेखण के साथ आवश्यक पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। यह नया घटक ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के लिए अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक विकास और

परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। हालांकि, समिति चिंता व्यक्त करती है कि पीएमजीएसवाई - IV सड़क सर्वेक्षण वर्तमान में अप्रचलित 2011 की जनगणना पर आधारित है, जो वर्तमान आबादी, बसावटों के विस्तार और बुनियादी ढांचे की बढ़ती जरूरतों को नहीं दर्शाता है। चूंकि, नई जनगणना अभी तक नहीं कराई गई है, इसलिए सर्वेक्षण में वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है, जिसके परिणामस्वरूप अपात्र बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है जबकि वास्तविक लाभार्थियों की अनदेखी की जाती है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि समान और अंतिम छोर तक ग्रामीण सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के लिए पीएमजीएसवाई - IV के अंतर्गत सड़क सर्वेक्षण को नवीनतम उपलब्ध जनसंख्या आंकड़ों अथवा अंतरिम आकलन के आधार पर संशोधित किया जाना अपेक्षित है। इससे वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने, ढांचागत बाधाओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सड़कों को सबसे अधिक जरूरत वाले क्षेत्रों में उचित रूप से आवंटित किया जाए। इसके अलावा, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि सर्वेक्षण से पूर्व स्थानीय संसद सदस्य (एमपी) से परामर्श किया जाना चाहिए, और प्रत्येक सर्वेक्षण की स्थानीय संसदीय प्रतिनिधि से जांच करवाई जानी चाहिए और उनसे अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। समिति इस बात पर जोर देती है कि संसदीय निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सड़क नेटवर्क उन लोगों को लाभान्वित करे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है और नौकरशाही की चूकों या पुराने आंकड़ों के कारण कोई भी पात्र बसावट छूट न जाए। सड़क सुविधा रहित पात्र ग्रामीण बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए ऐसे कदम अत्यंत आवश्यक हैं जिससे आर्थिक और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच आसान हो और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिले।

सरकार का उत्तर

4.18 पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत बसावटों के सर्वेक्षण के लिए ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप शुरू किया गया है और इसे एसआरआरडीए द्वारा पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है। एसआरआरडीए को प्रशिक्षण भी दिया गया है। डेटा को ओएमएमएएस पर अपलोड कर दिया गया है तथा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय/एनआरआईडीए ने अस्थायी रूप से चिन्हित बसावटों की भी जांच की।

(का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.32 देखें)

सिफारिश (क्रम सं. 10)

4.19 समिति नोट करती है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू केंद्र-राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर निर्भर करता है। इस समन्वय में वित्तपोषण, परियोजना नियोजन, गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। यह योजना वर्ष 2000 में 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। हालांकि, वित्त वर्ष 2015-16 से वित्तपोषण पैटर्न को संशोधित करके सभी राज्यों में 60:40 कर दिया गया था, सिवाय आठ पूर्वोत्तर राज्यों और तीन हिमालयी राज्यों के, जहां यह अनुपात 90:10 है। इस प्रकार, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निधियों का निर्बाध प्रवाह बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि, निधियां जारी करने का मुद्दा अत्यन्त महत्वपूर्ण है, फिर भी ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय होने के कारण, प्रभावी कार्यान्वयन की जिम्मेदारी विभिन्न अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा त्वरित और पूर्वव्यापी दृष्टिकोण अपनाया जाना अपेक्षित है। इस संदर्भ में, समिति पाती है कि कई राज्यों में विभिन्न परियोजनाएं संभारतंत्र संबंधी मुद्दों या केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा दोनों द्वारा समय पर निधियां

जारी न किए जाने के कारण विलंबित हो जाती हैं अथवा रुक जाती हैं। इसलिए, समिति ग्रामीण विकास विभाग से यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाएं केन्द्र और राज्य के बीच समन्वय की कमी के कारण बाधित न हों बल्कि योजना को सकारात्मक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र के साथ-साथ समन्वय की एक बेहतर एकीकृत व्यवस्था स्थापित की जाए।.

सरकार का उत्तर

4.20 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रभावी समन्वय हेतु विभिन्न संस्थागत तंत्र पहले से ही मौजूद हैं। मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकों, राज्यों के साथ पूर्व-अधिकारप्राप्त/अधिकारप्राप्त समिति बैठकों के माध्यम से योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है। जिला स्तर पर, माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) की अध्यक्षता वाली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) पीएमजीएसवाई सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। उपरोक्त के अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें/मासिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं ताकि योजना की प्रगति का जायजा लिया जा सके और यदि कोई बाधाएँ हों, तो उन्हें दूर किया जा सके। जब भी राज्य योजना के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई की सूचना देते हैं, तो उसका समाधान किया जाता है और सकारात्मक परिणाम के लिए संबंधित एजेंसियों के समक्ष उचित स्तर पर मुद्दों को उठाया जाता है।

पीएमजीएसवाई में निधियां जारी करने की एक निर्बाध श्रृंखला है और निधियों की अनुपलब्धता के कारण कोई भी कार्य बाधित नहीं हुआ है। कभी-कभी केंद्र सरकार द्वारा जारी निधियां राज्य के कोष में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक रुकी रहती है, तथापि, हाल ही में संबंधित राज्य सरकारों के साथ निरंतर संपर्क के कारण इस समस्या का समाधान भी हो गया है।

(का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.35 देखें)

सिफारिश (क्रम सं. 9)

4.21 समिति यह नोट करके चिंतित है कि राज्य सरकार के अधिकारियों और राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षकों द्वारा किए जाने वाले स्थलों के निरीक्षण के बारे में संसद सदस्यों एवं संबंधित सदस्यों को पूर्व सूचना प्रायः नहीं मिल पाती और निरीक्षण दल के प्रस्थान या न आने की सूचना सदस्यों तक पहुँच जाती है। योजना में स्पष्ट सैद्धांतिक प्रावधान होने के बावजूद, इनका कई बार उल्लंघन किया गया है और संसद सदस्यों के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। योजना की दोनों नोडल एजेंसियों (केंद्र और राज्य) के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि निर्माण स्थलों के निरीक्षण में संसद सदस्य की भागीदारी के संबंध में योजना के अंतर्गत उल्लिखित अनिवार्य प्रावधान का कड़ाई से पालन किया जाए। इसके अलावा, केंद्र या राज्य से निरीक्षण दल के आगमन की सूचना संबंधित संसद सदस्यों को सभी संभव संचार माध्यमों से कम से कम एक सप्ताह पहले दी जाए ताकि वे निर्माण स्थलों के निरीक्षण के लिए स्वयं उपस्थित हो सकें। अतः, समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग इस मामले पर गंभीरता से पुनर्विचार करे और पीएमजीएसवाई के प्रावधानों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करे। इसके अलावा, समिति दोनों नोडल एजेंसियों (केंद्र और राज्य) से यह भी सिफारिश करती है, बल्कि अनुरोध करती है कि वे योजना के उद्देश्य, अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और बेहतर जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में कोई कसर न छोड़ते हुए, एक संयुक्त और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएँ।

सरकार का उत्तर

4.22 पीएमजीएसवाई कार्यों के निरीक्षण के संबंध में माननीय संसद सदस्यों को पूर्व सूचना देने संबंधी प्रावधान का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु इस मंत्रालय ने दिनांक 23 जनवरी 2025 के परिपत्र संख्या पी-17025/22(1)/2017-आरसी के माध्यम से संबंधित प्रावधानों को पुनः सक्रिय रूप से साझा किया है। यह परिपत्र ससमय और पारदर्शी संचार के

महत्व को रेखांकित करता है और संबंधित परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली पीएमजीएसवाई सड़कों के निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर (एनक्यूएम) के दौरों के संबंध में माननीय संसद सदस्य को पहले से सूचित करने का अधिदेश प्रदान करता है। इसके अलावा, राज्य गुणवत्ता समन्वयक (एसक्यूसी) यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि जब तक ओएमएमएएस पर ऑनलाइन सुविधा पूरी तरह से चालू नही हो जाती तब तक ऐसी सूचना माननीय सांसद को विधिवत रूप से दी जाए, साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय और एनआरआईडीए को भी एक प्रति भेजी जाए। परिपत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अग्रिम सूचना के साथ-साथ टेलीफोन पर भी पुष्टि की जानी चाहिए, ताकि माननीय संसद सदस्य या उनके अधिकृत प्रतिनिधि निरीक्षण में भाग ले सकें और मूल्यवान टिप्पणियां प्रदान कर सकें, जिससे सड़क की गुणवत्ता की निगरानी में अधिक पारदर्शिता, उत्तरदेही और सहयोग को बढ़ावा मिले।

(का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.38 देखें)

सिफारिश (क्रम सं. 15)

4.23 समिति यह नोट करके चिंतित है कि योजना के अधीन इस प्रावधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है कि योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु सड़कों को मंज़ूरी देने/चयन करते समय संसद सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों/सलाह पर उचित विचार किया जाना चाहिए। निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते, संसद सदस्य प्रभावी रूप से स्थानीय आबादी की भावनाओं और सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीएमजीएसवाई जैसी कल्याणकारी योजनाओं के विभिन्न पहलुओं से जुड़े स्थानीय अनुभवों के माध्यम से सुदृढ़ नीति तैयार करने में सहायता मिलेगी। संसद सदस्यों ने इस संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है कि यद्यपि योजना के अंतर्गत सड़क परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में उनकी स्पष्ट भूमिका निर्धारित की गई है, फिर भी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा इस नियम को समुचित महत्व नहीं दिया जाता है। समिति का मत है कि निरीक्षण दल, डीपीआर तैयार करने वाले दल आदि को निश्चित रूप से स्थानीय संसद सदस्यों से प्राप्त जानकारी का लाभ उठाना चाहिए ताकि वे उस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की वास्तविक स्थिति से परिचित हो सकें। इस

तरह, यदि संसद सदस्य गुणावगुण के आधार पर स्थानीय लोगों द्वारा महसूस की गई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ऐसी सड़कों/स्थलों को शामिल करने हेतु अपने सुझाव देते हैं तो ग्रामीण विकास विभाग को इस अनुरोध पर तत्परता से विचार करना चाहिए और ऐसे सुझावों/सलाह को शामिल करने के सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए जिससे बाद में भी स्थानीय ग्रामीण आबादी के सरोकारों का समाधान किया जा सके। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को प्राथमिकता के आधार पर सदस्यों द्वारा सुझाई गई सड़कों को वरीयता देनी चाहिए और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उनके अनुभव / कौशल / सलाह का बेहतर उपयोग करना चाहिए। सड़क परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए संसद सदस्यों के सुझावों/सिफारिशों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए ताकि उनके दृष्टिकोण और सरोकारों को शामिल किया जा सके।

सरकार का उत्तर

4.24 माननीय संसद सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों को प्राथमिकता दी जाती है बशर्ते कि वे पीएमजीएसवाई के दिशानिर्देशों और उद्देश्यों को पूरा करती हो। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा दिनांक 16-12-2019 के पत्र द्वारा एक परामर्श जारी किया गया है जिसमें पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क कार्यों की योजना बनाने और कार्यान्वयन में माननीय संसद सदस्यों और अन्य निर्वाचित सदस्यों की भूमिका का विवरण दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत सड़क कार्यों की योजना बनाने और चयन में माननीय संसद सदस्यों की भूमिका पर दिनांक 2-6-2020 को सभी राज्यों को एक परामर्श भी जारी किया गया है।

माननीय संसद सदस्यों/विधायकों के प्रस्तावों के संबंध में पीएमजीएसवाई-IV दिशानिर्देशों के प्रासंगिक पैरा नीचे दिए गए हैं:

पैरा 5.5: व्यापक नई संपर्कता प्राथमिकता सूची तैयार और सत्यापित होने के बाद, इसे जिला पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संसद सदस्यों/विधायकों को सीएनसीपीएल की एक प्रति दी जाएगी और उनके सुझावों तथा निचले स्तर की पंचायती राज संस्थाओं के सुझावों पर जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन प्रदान करते समय पूर्णतः विचार किया जाएगा।

पैरा 5.6: जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन के बाद, परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) द्वारा प्रस्तावों को राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को भेजा जाएगा। उस समय, पीआईयू, संबंधित संसद सदस्यों की सहमति से, एमपी-I प्रारूप में संसद सदस्यों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का विवरण और एमपी-II प्रारूप में उन पर की गई कार्रवाई का विवरण, प्राथमिकता और अन्य विवरण दर्शाते हुए, तैयार करेगी और उसे प्रस्तावों के साथ भेजेगी। उन सभी मामलों में जहाँ किसी संसद सदस्य का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है, जिला पंचायत द्वारा एमपी-II प्रारूप में दिए गए तर्कों के आधार पर ठोस कारण बताए जाएँगे।

पैरा 5.7 राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसआरआरडीए) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावों की जाँच करेगी कि वे दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और उन्हें एमपी-I और एमपी-II विवरणों के साथ राज्य स्तरीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

पैरा 5.8 राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) प्रस्तावों की जाँच करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और संसद सदस्यों (एमपी) के प्रस्तावों पर पूर्ण विचार किया गया है। ऐसे सभी मामलों में जहाँ किसी संसद सदस्य का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है, संबंधित संसद सदस्य को ठोस कारण बताए जाएँगे और इन्हें एसएलएससी की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा।

(का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.41 देखें)

सिफारिश (क्रम सं. 16)

4.25 समिति को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत किसी परियोजना के शिलान्यास और तत्पश्चात निर्मित सड़कों के उद्घाटन के समय अनुपालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल से संबंधित पीएमजीएसवाई के मानदंडों/प्रावधानों के उल्लंघन और संबंधित जिले के संसद सदस्य की भागीदारी के संबंध में लगातार सूचित किया गया है। यह एक अन्य चिंता का विषय है जिसमें वास्तविकता और जमीनी हकीकत कई अवसरों पर एक-दूसरे से पूर्णतः भिन्न होती है। यद्यपि समिति द्वारा पूर्ववर्ती सिफारिशों के माध्यम से इसके बारे में कहा

गया था, फिर भी इन मानदंडों का निरंतर अनुपालन न किया जाना समिति के लिए चिंता का विषय है। अतः समिति ग्रामीण विकास विभाग से यह सिफारिश करती है कि वह इस मामले की पुनः जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि पीएमजीएसवाई कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन समारोहों के समय संसद सदस्यों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए। राज्य स्तर पर प्राधिकारियों को भी इन मानदंडों / प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए कहा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, समिति यह भी सिफारिश करती है कि उद्घाटन और शिलान्यास समारोहों की प्रत्येक की एक अच्छी फोटोग्राफ, जिसमें प्लैक के साथ संसद सदस्य की स्पष्ट तस्वीर हो, ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) पर अपलोड किया जाना चाहिए। संबंधित विभाग/राज्य इस प्रयोजनार्थ निर्धारित दिशा-निर्देशों के समुचित कार्यान्वयन के लिए ठोस कदम उठाएं।

सरकार का उत्तर

4.26 पीएमजीएसवाई कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन समारोहों के लिए जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.02.22 को एक परामर्श पहले ही जारी किया जा चुका है और वह अनुबंध एक में संलग्न है।

(का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.44 देखें)

सिफारिश (क्रम सं. 17)

4.27 समिति यह नोट करके चिंतित है कि पीएमजीएसवाई के कार्यों में निष्क्रियता/अनियमितताओं के संबंध में शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने और उनका निवारण करने से संबंधित संसद सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है। समिति यह महसूस करती है कि ग्रामीण विकास विभाग के इस दृष्टिकोण में तत्काल बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। संसद सदस्य

संवैधानिक पदधारिकारी होते हैं और अधिकांश जनता की आवाज़ / सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके माध्यम से ही आम आदमी के सरोकार शीर्ष स्तर पर अधिकारियों के संज्ञान में आते हैं। इसलिए, संसद सदस्य द्वारा उजागर किए गए योजना से जुड़े वास्तविक सरोकारों को गंभीरता से लिए जाने और संबंधित सदस्यों को सूचित करते हुए ऐसी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण किए जाने की आवश्यकता है। अतः समिति ग्रामीण विकास विभाग से यह आग्रह करती है वह निर्धारित समय-सीमा के भीतर योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करे।

सरकार का उत्तर

4.28 मंत्रालय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी संदर्भों के निपटान हेतु निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करता है और निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करता है। संसद सदस्यों से प्राप्त संदर्भों/शिकायतों के निपटारे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। तथापि, कुछ मामलों में संबंधित राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त न होने के कारण देरी हो जाती है। कुछ मामलों में, जिन सड़कों के निर्माण कार्य के विरुद्ध शिकायत की गई है, उनके निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एनक्यूएम) की टीम को नियुक्त करना पड़ता है। इन सभी प्रक्रियाओं में कुछ समय लगता है और इसलिए देरी हो सकती है। तथापि, मंत्रालय देरी को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करता है।

(का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.47 देखें)

अध्याय-पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

शून्य

(का.ज्ञा.सं.पी-17017/3/2022-आरसी(ईएफएमएस सं.380695)दिनांक:6 नवम्बर, 2025)

नई दिल्ली
30 जुलाई, 2026
श्रावण 8, 1948 (शक)

सप्तगिरि शंकर उलाका
सभापति
ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध एक

1672/174

P-17017/1/2021-RC

890699/2023/O/o SECRETARY (RD)

शैलेश कुमार सिंह आई.ए.एस.
सचिव
SHAILESH KUMAR SINGH IAS
Secretary

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Tel. : 91-11-23382230, 23384467
Fax : 011-23382408
E-mail : secyrd@nic.in

August 08, 2023

DO # P-17017/1/2022-RC (e.374001)

Sir,

I want to apprise you that Standing Committee on Rural Development & Panchayati Raj in its 26th Report has made an observation that the heavy vehicle plying on NHAI Road cause damage to PMGSY roads when these vehicles descend upon them. PMGSY roads are generally low volume roads and do not have bearing capacity of heavy load. The Committee had advised this Department to ensure a result oriented dialogue process with the NHAI for having provisions of getting the damaged roads repaired by NHAI authorities. The detailed observation of Standing Committee is enclosed for your reference (**Annexure-I**).

2. The Ministry had accordingly taken up the matter with the MoRT&H vide Office Memorandum of even number dated 2nd November, 2022 with the request to take appropriate action in the matter and submit an Action Taken Report to this Department. However, the same is awaited despite reminder dated 24th April, 2023.

3. The Standing Committee in its latest report (33rd report) has again advised this Department to seek reply from the NHAI on the issue and furnish Action Taken Report within three months. The relevant extracts of the Standing Committee report is attached at **Annexure-II**.

4. I shall be grateful if you could kindly look into the matter and expedite the ATR on the said observations/recommendations of the Standing Committee.

With regards,

Yours sincerely,

8/8/23

(Shailesh Kumar Singh)

encls: as above

Shri Anurag Jain,
Secretary,
Ministry of Road Transport and Highways,
Transport Bhawan, 1- Parliament Street,
New Delhi-110001

P-17017/4/2014-RC (FMS-337661)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
Rural Connectivity (RC) Division

Krishi Bhavan, New Delhi-110001
Date: 02nd November, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Issues flagged in 26th Report of Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj (2021-22) regarding damaged caused to PMGSY roads due to plying of heavy vehicle of NHAI.

The undersigned is directed to refer to Lok Sabha Secretariat's O.M No. 11/1/9-RD/CRDPR-2022 dated 3rd March, 2022 (copy enclosed) whereby various recommendations/observations made by Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj (2021-22) were forwarded to this Ministry for appropriate action.

2. The Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj (2021-22) vide recommendation/observation s.no 18 has pointed out following issues in respect of Rural Roads and NHAI:

"**Strictures to National Highways Authority of India (NHAI):** The Committee were informed during the deliberations through the ground experience of Members of Parliament (MPs) that the roads constructed under PMGSY with an optimum weight bearing capacity were witnessing load carrying heavy vehicles of NHAI upto the tune of 50 tonnes plying on them. Such enormous weight causes damage to the roads under PMGSY and the matter needed to be looked upon seriously. Even though, provision exists for the roads damaged by the plying of NHAI vehicles to be repaired by them, still no one pays heed to them. This is a blatant violation of norms creating damaging effects on the roads of PMGSY which need to be resolved at the earliest. In view of such conflicting situation, it is perhaps appropriate if the Department takes up the matter sternly with the NHAI and thus the Committee recommend DoRD to ensure a result oriented dialogue process with the NHAI for stricter compliance of the norms of PMGSY."

3. In view of the above recommendation of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj (2021-22), Ministry of Road Transport and Highways is requested to take appropriate action in the matter and submit an Action Taken Report (ATR) to the Ministry at the earliest for further submission to Lok Sabha Secretariat.

4. This issues with the approval of the competent Authority.

(K.M. Singh)
Deputy Secretary to the Government of India
Tel.011-23070308

Encl: As above

To,

The Secretary,
Ministry of Road Transport and Highways
Transport Bhawan, 1- Parliament Street
New Delhi-110001

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

अ. शा. पत्र सं. पी- P-17017/1/2022-आरसी
दिनांक:27 सितम्बर, 2023

आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी,
सादर नमस्कार,

मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति ने अपनी 26वीं रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है कि एनएचएआई रोड पर चलने वाले भारी वाहन जब पीएमजीएसवाई सड़कों पर उतरते हैं तो उन सड़कों को नुकसान पहुंचाते हैं। पीएमजीएसवाई सड़कें आम तौर पर कम यातायात क्षमता वाली सड़कें होती हैं और इनमें भारी वजन सहने की क्षमता नहीं होती है। समिति ने इस विभाग को विकल्प के रूप में यह सलाह दिया था कि वह क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एनएचएआई प्राधिकारियों द्वारा कराने के प्रावधानों के लिए एनएचएआई के साथ परिणामोन्मुख संवाद प्रक्रिया सुनिश्चित करे। स्थायी समिति का विस्तृत टिप्पणी आपके संदर्भ के लिए संलग्न है। (अनुलग्नक- I)

2. मंत्रालय ने तदनुसार मामले में उचित कार्रवाई करने और इस विभाग को एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ दिनांक 02 नवंबर, 2022 को कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ मामला उठाया था। इसके बाद, पत्र दिनांक 24.04.2023 के माध्यम से एक अनुस्मारक भी दिया गया था । हालाँकि, अभी तक कोई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

3. स्थायी समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट (33वीं रिपोर्ट) में इस विभाग को फिर से इस मुद्दे पर एनएचएआई से जवाब मांगने और तीन महीने के अंदर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी है। स्थायी समिति की रिपोर्ट के प्रासंगिक उद्धरण अनुबंध- II में संलग्न हैं।

4. मामले की गंभीरता को देखते हुए सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को अर्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से इस मुद्दे पर एटीआर प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो अप्राप्त है। इसकी एक प्रति अनुबंध-III के रूप में संलग्न है।

5. अतः मै आपसे आनुरोध करता हूँ कि इस संबंध मे आवश्यक निर्देश जारी करने की कष्ट करें जिससे स्थायी समिति की उपरोक्त टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को शीध्र प्रेषित किया जा सके।

सादर,

भवदीय,

(गिरिराज सिंह)

संलग्नक : यथोपरि।

श्री नितिन गडकरी,
माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री,
भारत सरकार,परिवहन भवन, नई दिल्ली।

Office: 'G' Wing, Ground Floor, Krishi Bhawan, New Delhi-110001, Tel.: 011-23383548, 23782373, 23782327, Fax: 011-23070309
Resi.: 27, Lodhi Estate, New Delhi, Ph.: 011-24626783, 24655677

545690/2020/RC

File No. P-17025/37/2013-RC (FMS No 331916)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(Rural Connectivity (RC) Division)

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated the 2nd June, 2020

To,

All Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries In-Charge of PMGSY of all the States/UTs

Subject: Role of Hon'ble Members of Parliament in planning and selection of road works under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-III- reg.

Sir/ Madam,

I am directed to refer to the subject cited above and to say that the PMGSY has an inbuilt mechanism for consultation with public representatives at various stages of planning and implementation of the programme. Advisories have been issued and reiterated from time to time to the State Governments/State Rural Road Development Agencies, giving emphasis, *inter-alia*, on strict compliance of these provisions. In this regard, attention is invited again to various provisions of the PMGSY-III guidelines, which provide detailed procedure for consultation with the Members of Parliament during the process of planning and selection of roads. Some important guidelines in this respect are reproduced below:

Para 3.6: The suggestions given by the Members of Parliament are to be given full consideration while finalizing District Rural Roads Plan (DRRP).

Para 5.5: The Annual proposals will be based on the CUCPL following the Order of Priority (subject to PCI). However, it is possible that there are inadvertent errors or omissions, particularly in the selection of Through Routes. Accordingly, it is desirable to also associate public representatives while finalizing the selection of road works in the annual proposals. The proposals of the Members of Parliament are required to be given full consideration, for this purpose:

i. The CUCPL should be sent to concerned MPs with the request that their proposals on the selection of works out of the CUCPL should be sent to the District Panchayat. It is suggested that at least 15 clear days may be given for the purpose.

ii. In order to ensure that the prioritization has some reference to the funding available, the size of proposals expected may also be indicated to the Members of Parliament while forwarding the CUCPL list to them. District wise allocation may be indicated to enable choice with the requisite geographical spread. It would be ensured that such proposals of Members of Parliament which adhere to the Order of Priority would be invariably accepted subject to consideration of equitable allocation of funds and need for up gradation.

iii. The proposals received from the Members of Parliament by the stipulated date would be given full consideration in the District Panchayat which would record the reason in each case of non-inclusion. Such proposals that cannot be included would be communicated in writing to the Members of Parliament with reasons for non-inclusion of such proposals in each case. It would be preferable if the communication is issued from the Nodal Department at a senior level.

Para 7.1: After the approval by the District Panchayat, the proposals would be forwarded by the PIU to the SRRDA. The PIU will at that time prepare the details of proposals forwarded by the Members of Parliament and action taken thereon, in proforma MP-I and MP-II and sent it along with proposals. In all cases where the proposals of an MP has not been included, cogent reasons shall be given based on the reasons given by the District Panchayat.

Para 7.3: The State Level Standing Committee (SLSC) would scrutinize the proposals to see that they are in accordance with the Guidelines and that the proposals of the Member of Parliament have been given full consideration.

2. In view of this, all the State Governments are once again requested to follow the guidelines relating to consultation with the Members of Parliament in letter and spirit, and the following needs to be ensured:

(i) Hon'ble MPs may be briefed about the PMGSY-III planning process, overall allocation and inter-se Block/District allocation etc. at the beginning of the planning exercise.
(ii) Hence, it is reiterated that final list of proposals, in order of priority, would be communicated in writing to the Member of Parliament with reasons for non-inclusion of such proposals in each case. It would be preferable if this communication is made by a senior official and their recommendation/ consent be obtained in writing on the overall proposed list. It should be ensured that the Member of Parliament receives such communication and a reasonable time of 15 days is given to them to respond with their recommendation.
(iii) Such recommendation should also be included along with MP-I and MP-II formats. If such response/ recommendation is not received in 15 days, a clear note to this effect is recorded in the proposal. Proposal to the Ministry may be sent by SRRDA along with a note regarding the process adopted by the state in dealing with the recommendations of Members of Parliament.

Yours faithfully,

(K.M. Singh)
Deputy Secretary to the Government of India
Tel No: - 011- 2307 0308

Copy to: All CEOs/Chief Engineers of PMGSY implementing States/UTs

File No.P-17025/24/2022-RC (FMS-378848)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
Rural Connectivity Division
******

Krishi Bhawan, New Delhi
Datcd thc 3rd Fcbruary, 2022

To

All Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries In-Charge of PMGSY of all the States/UTs.

Subject: Invitation to the Public Representatives for foundation laying and inauguration ceremonies of PMGSY works - reg.

Sir/Madam,

PMGSY has an inbuilt mechanism for consultation with public representatives at various stages of planning and implementation of the programme. It has already been advised to all the States/ UTs that in the matter of selection of roads to be taken up under PMGSY, the suggestions of elected representatives, including MPs and MLAs, are expected to be duly taken into account and given full consideration. Besides, all the elected representatives associated with the programme should be duly invited to the foundation laying and inauguration ceremonies of PMGSY works. Advisories have been issued in this regard and reiterated from time to time to the State Governments by the Ministry. However, it has come to the notice of the Ministry that despite the above advisories, numerous complaints are being received from the various MPs about not inviting them to foundation laying and inauguration ceremonies of PMGSY works.

2. In this regard an advisory was issued by this Ministry to all states/UTs on 28.7.2011 (copy enclosed). The abstract of the above advisory is once brought to the notice of states/UTs for strict compliance:

i. All elected representatives associated with the programme should be duly invited to the foundation laying and inauguration ceremonies of PMGSY works;
ii. The function should be held in a manner befitting official function with due regard to protocol requirements, particularly in relation to Hon'ble Union Ministers and Hon'ble Ministers from States;
iii. The foundation stone for a PMGSY road should be laid and the road should also be inaugurated by the Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha) with the function presided over by the local Hon'ble Minister or other dignitary as per the State Protocol;

3. States are once again advised to strictly adhere to the above guidelines and ensure that no such complaints are received from the Hon'ble Members of Parliament in this respect. **Further, a good quality photograph (each) of the inauguration and foundation laying ceremonies, containing clear picture of Hon'blc M.P along with the plaque must be uploaded on OMMAS.**

4. All concerned may kindly take note of it and do the needful.

Yours faithfully,

(K.M.Singh)
Deputy Secretary to the Government of India
Tel No:- 011- 2307 0308

Copy to:

1. **All CEOs/Chief Engineers of PMGSY implementing States/UTs.**
2. **All Directors, NRIDA**

No. P-17017/1/2010-RC
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development

Krishi Bhavan, New Delhi.
Dated: 28th July, 2011

CIRCULAR No. 10 /2011

Subject: **Participation of Hon'ble Members of Parliament in selection of eligible proposals, joint inspections and Foundation Laying Ceremony under PMGSY.**

The role of Hon'ble Members of Parliament in successful implementation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) is extremely important. PMGSY envisages an important role for them in planning and monitoring of Rural Roads.

2. With a view to ensure wider participation of the elected representatives at various levels of decision making, PMGSY guidelines, *inter alia*, provide for consultation with the Hon'ble Members of Parliament. Some of them are:

a. The Core Network and District Rural Roads Plan are to be finalized by the District Panchayat after giving full consideration to the suggestions of the Hon'ble Member of Parliament.

b. Suggestions of the Hon'ble Members of Parliament are to be taken while finalizing the Comprehensive New Connectivity Priority List (CNCPL) and Comprehensive Upgradation Priority List (CUPL).

c. The Annual Plan proposals are to be finalized in consultation with the Hon'ble Members of Lok Sabha in respect of their constituencies and Hon'ble Members of Rajya Sabha in respect of that district for which they have been nominated as Vice-chairman of the District Vigilance & Monitoring Committee.

d. The proposals received from the Hon'ble Members of Parliament by the stipulated date have to be given full consideration by the District Panchayat. The Hon'ble Member of Parliament should be informed of the inclusion/non-inclusion of their proposals along with the reasons given in each case in the event of non-inclusion.

3. In continuation of the earlier letter No. P-17025/11/2010-RC dated 11th March, 2010 regarding participation of Hon'ble MPs in inspections of PMGSY Projects and Foundation Laying Ceremony under PMGSY, Hon'ble Union Minister for Rural Development has written to all the Hon'ble Members of Parliament vide D.O. letter No. P-17025/11/2010-RC dated 21st April, 2010.

4. The State Governments have also been reminded to ensure a system of joint inspections of PMGSY projects. The procedure of inspections should be as under:-

i. The Superintending Engineer incharge of the zone will request the Hon'ble MP and Chairman Zila Panchayat representing that zone once in six months for

joint inspection of PMGSY road works as per the convenience of the MP and Chairman, Zila Panchayat.

ii. The Executive Engineer in-charge of the Division will request the MLA/Chairperson of the Intermediate Panchayat concerned once in three months for joint inspection as per their convenience.

iii. The Assistant Engineer in-charge of the subdivision will request the concerned Chairman, Gram Panchayat once in two months for joint inspection.

5. In spite of above stipulations, some States are not adhering to these instructions as reported by many Hon'ble Members of Parliament. They have also pointed out that they are not being invited to lay the foundation stone or to inaugurate the PMGSY roads. Hence, the following stipulations are again issued for strict compliance by State Governments:-

(a) All elected representatives associated with the programme should be duly invited to the foundation laying and inauguration ceremonies.

(b) The function should be held in a manner befitting official functions with due regard to protocol requirements, particularly in relation to Hon'ble Union Ministers and Hon'ble Ministers from States; and

(c) The foundation stone for a PMGSY road should be laid and the road should also be inaugurated by the Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha) with the function presided over by the local Hon'ble Minister or other dignitary as per State Protocol.

(d) While sending new project proposals for consideration, digital photographs of the recent foundation laying ceremony or the Inauguration of a road by the concerned Hon'ble MP should invariably be enclosed. In case, the Hon'ble Member of Parliament could not attend any foundation laying or inauguration function, copies of the letters inviting him for foundation or inauguration ceremony should also be appended with the new DPRs.

6. Please ensure action as per para 2,4 and 5 above.

(S.R. Meena) 28/7/11
Director (RC)

To

All State Principal Secretaries/ Secretaries dealing with PMGSY .

Copy to:

(i) PS to Secretary (RD)/ PS to JS (RC)
(ii) Directors of RC Division and NRRDA Dir (F&A)
(iii) Technical Director (NIC)
(iv) Guard file

No.P-17025/11/10-RC
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development

Krishi Bhavan, New Delhi.
Dated the 11th March, 2010

To

All Principal Secretaries/Secretaries of States/UTs in-charge of PMGSY

Sub: Foundation laying/inauguration of Projects under PMGSY

Sir

Some Hon'ble Members of Parliament have complained before Hon'ble Minister, Rural Development that they are not being invited on the occasion of laying of foundation stones or inauguration of road works being constructed under PMGSY.

2. It had been instructed earlier that Executing Agencies and District Administration must ensure that-

(a) All elected representatives associated with the programme are duly invited to the foundation laying and inauguration ceremonies.
(b) The functions should be held in a manner befitting official functions with due regard to protocol requirements, particularly in relation to Central Ministers and Ministers of States; and
(c) The foundation stone is laid by the local Member of Parliament (Lok Sabha) with the function presided over by the local Minister or other dignitary as per state protocol.

3. An expenditure of up to Rs. 5,000/- per project has also been permitted for these events, which can be met out of administrative funds sanctioned as per para 12.2 of the guideline vide this office letter no. P-17023/9/2007-RC dated 7th April, 2008. However, the amount of 0.5% earmarked for independent quality monitoring by the second tier should not be used for this purpose.

4. Kindly inform all concerned Programme Implementation Units (PIUs) to take necessary steps and invite Hon'ble Members of Parliament for the foundation laying and inauguration ceremonies of PMGSY works.

Yours' faithfully
P. K. Anand 11/3/2010
(Dr. P. K. Anand)
Joint Secretary

F.No. P-17025/34/2016-RC (FMS No – 350567)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
Rural Connectivity (RC) Division

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated the 16th December, 2019

To,

The Principal Secretary/Secretary,
In-Charge of PMGSY of all the States.

Subject: Role of Hon'ble Members of Parliament and other elected representatives in Planning and Implementation of road works under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)-reg.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's Circular issued vide letter No. P.17025/2/2014-RC dated 27th July, 2017 reiterating the provisions in the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) guidelines on the role of Hon'ble Members of Parliament and other elected representatives in planning and implementation of PMGSY works. As you are aware 1,25,000 kms of road length are to be sanctioned under PMGSY-III. The PMGSY-III guidelines include a detailed planning procedure for selection of eligible roads. In continuation paras 5.5 and 5.6 of PMGSY-III guidelines also reiterate the role of people's representatives in the planning process and mandatory approval of the Hon'ble Members of Parliament at the time of submission of the proposals. Various advisories issued in the past on this subject are referenced herewith:-

i) Advisory dated 28th January, 2015 regarding priority in the selection of roads for new connectivity and upgradation of existing roads leading to eligible habitations in the Gram Panchayats/villages identified by the Members of Parliament under Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY).

ii) Circular dated 23rd July, 2015 regarding consultation with Hon'ble Members of Parliament and other elected representatives in the rural road construction under PMGSY.

iii) Letter dated 31st July, 2015 regarding consultation with Hon'ble Members of Parliament and other elected representatives in the rural road construction under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.

iv) Circular dated 25th July, 2016 regarding Quality Control and Supervision of works-Joint Inspection of PMGSY works.

v) Letter dated 27th July, 2016 regarding Foundation Stone/Inaugration of PMGSY works.

vi) Letter dated 27th July, 2016 regarding proposals of Members of Parliaments regarding selection of roads under PMGSY-II-clarification.

vii) Letter dated 29th July, 2016 regarding inspection of SQMs/NQMs on the complaints received from Hon'ble MPs regarding implementation of PMGSY-intimation of their visits to MPs.

vii) Circular dated 20th April, 2017 regarding role of Hon'ble Members of Parliament and other elected representatives in Planning and Implementation of road works under PMGSY.

2. All the State Governments are once again requested to ensure compliance of the provisions of the programme guidelines and advisories issues from time to time in letter and spirit. The State Governments are also requested to issue suitable advice to the State Rural Road Development Agency at the State level and Project Implementation Units at District level to ensure strict compliance of the advisories. This would be important for according sanctions to states, for the upcoming proposals of PMGSY III.

3. This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

(Surabhi Rai)
Director (RC)
Tel. No. 2338 3006

Distribution:

1. The Engineer-in-Chief/Chief Engineer of the PMGSY (All States/UTs).
2. All Directors, NRIDA.

Copy also to:

PS (MRD)/PS (MOS-RD)/PPS to Secretary/PPS to AS (RD)

अनुबंध- दो

(देखिए प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा सं. 4)

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

एक. सिफ़ारिशों की कुल संख्या 17

दो. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:
क्र. सं. 11, 12, एवं 13

कुल: 3
प्रतिशत: 18%

तीन. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:

क्र. सं. शून्य

कुल: शून्य
प्रतिशत: 0%

चार. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं:

क्र. सं. 1 से 10 एवं 14 से 17

कुल: 14
प्रतिशत: 82%

पाँच. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्र. सं. शून्य

कुल: शून्य
प्रतिशत: 0%

अनुबंध- तीन

<u>ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति (2025-26)</u>

समिति की बुधवार, 8 जुलाई, 2026 को हुई छब्बीसवीं बैठक के कार्यवाही सारांश से उद्धरण

समिति की बैठक 1100 बजे से 1347 बजे तक समिति कक्ष 'सी', भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

<u>उपस्थित</u>

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका -- *सभापति*

सदस्य

लोक सभा

2. श्री विजय कुमार दूबे
3. श्री भजन लाल जाटव
4. डॉ. मोहम्मद जावेद
5. श्री जुगल किशोर
6. श्री नव चरण माझी
7. श्री जनार्दन मिश्रा
8. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी
9. श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर
10. श्री देवेन्द्र सिंह *उर्फ* भोले सिंह
11. श्री गणेश सिंह
12. श्री विवेक ठाकुर

राज्य सभा

13. श्रीमती गीता *उर्फ* चंद्रप्रभा
14. श्री समीरुल इस्लाम
15. सुश्री कविता पाटीदार
16. श्री नगेन्द्र रॉय

सचिवालय

1.	श्री वी. के. शैलोन	-	निदेशक
2.	श्रीमती रश्मि रॉय	-	उप सचिव

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने (i) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)" संबंधी 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन; (ii) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx; तथा xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx बुलाई गई समिति की इस बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. उपर्युक्त प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया गया और चर्चा के पश्चात समिति ने बिना किसी संशोधन के इन्हें स्वीकार किया। तत्पश्चात, समिति ने माननीय सभापति को उपरोक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें संसद में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

[xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx]

4. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

5. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

6. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

7. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

8. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

9. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

[xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx]

कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

*****

---

xxxx प्रारूप प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है ।